रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED No. D. 222

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

17 JUN 1974

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 12, 1974/पौष 22, 1895

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 12, 1974/PAUSA 22, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1973

का. आ. 73.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 92-मरवाही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम प्रसाद, ग्राम टिकरकला, पो. पेण्ड्रा रोड, तहसील और जिला बिलासपुर (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम प्रसाद को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. म. प्र. वि. स./92/72(27)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 28th November, 1973

S.O. 73.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ramprasad, Village Takarkala, Post Pendra Road, Tahsil Bilaspur, District Bilaspur (Madhya Pradesh) who was a contesting candidate for election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 92-Marwahi constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ramprasad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/92/72(27)]

आदेश

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1973

का. आ. 74.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 88-मनीगाछी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शशि चन्द्र मिश्र, ग्राम विष्णुपुर, पो. ककोढा, जिला दरभंगा (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार का ठौर ठिकाना मालूम न होने के कारण, उनको भेजी गई सूचना अपरिदत्त वापस आ गई है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शशि चन्द्र मिश्र को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. बिहार-वि. स. 88/72(37)]

ए. एन. सेन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th December, 1973

S.O. 74.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shashi Chandra Mishra, Village Bishunupur, P.O. Kakaudha, District Darbhanga (Bihar) who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 88-Manigachhi constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of election expenses as required Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

And whereas, the notice issued to Shri Shashi Chandra Mishra has been received back undelivered as the whereabouts of the candidate are not known and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shashi Chandra Mishra to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/88/72 (37)]

A. N. SEN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1973

का. आ. 75.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए (पंजाब) विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 99-पक्का कलां निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सोहन लाल गोयल सुपुत्र श्री गणेशी राम, ग्राम व डा. जस्सी बाग वाली जिला भटिंडा, पंजाब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सोहन लाल गोयल को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. प.-वि. स./99/72(22)]

ORDER

New Delhi, the 19th November, 1973

S.O. 75.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sohan Lal Goyal S/o. Shri Ganeshi Ram, V & P.O. Jassi Bagh Wali, District Bhatinda (Punjab), a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Punjab Legislative Assembly from 99-Pakka Kalan constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sohan Lal Goyal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. PB-LA/99/72 (22)]

आदेश

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1973

का. आ. 76.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 78-बसवनगुडी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मुनीस्वामप्पा, 47/6, सी. के. चन्नप्पा गार्डन, लालबाग रोड, बंगलौर-27 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मुनीस्वामप्पा को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. मैसूर-वि.सं./78/72]

वी. नागसुब्रमण्यन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th December, 1973

S.O. 76.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Muniswamappa, 47/6, C. K. Channappa Garden, Lalbagh Road, Banglore-27, a contesting candidate for the general election held in March, 1972 to the Karnataka Legislative Assembly from 78-Basavangudi constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commision is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Muniswamappa to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MY-LA/78/72]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1974

का. आ. 77.—सांख्यिकी विभाग अधिसूचना सं. एम-12011/7/73-एन. एस. एस.-1 दिनांक 7 नवम्बर, 1973 के पैरा-2 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 की धारा 8(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को लागू करने के लिए नियुक्त की गई समिति 1973-74 संबंधी अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी, 1974 तक प्रस्तुत करेगी।

[सं. एम-12011/7/73-एन.एस.एस.-1]

ह. ल. कोहली, अवर सचिव

MINISTRY OF PLANNING

(Department of Statistics)

New Delhi, the 2nd January, 1974

S.O. 77.—In partial modification of para 2 of the Department of Statistics Notification No. M. 12011/7/73-NSS. I dated the 7th November 1973, the Committee appointed in exercise of the powers conferred by Section 8(1) of the Indian Statistical Institute Act, 1959, shall submit its report for 1973-74 by the 31st January, 1974.

[No. M. 12011/7/73-NSS. I]

H. L. KOHLI, Under Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1973

का. आ. 78.—केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में निम्नलिखित नियुक्तियां की हैं :—

1. श्री एस. एन. श्रीवास्तव, आई. पी. एस. चीफ (सिक्यौरिटी) भारत कोकिंग कोल लि., झरिया को दिनांक 22-8-1972 से पदेन उप महानिरीक्षक के रूप में।

श्री मोहम्मद अली, आई. पी एस., मुख्य सुरक्षा अधिकारी इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लि., हैदराबाद को दिनांक 16-9-1972 से पदेन उप महानिरीक्षक के रूप में।

3. श्री एम. सेन, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन दुर्गापुर को दिनांक 17-7-1971 से पदेन कमांडेन्ट के रूप में।

4. श्री पी. एन. शुक्ल, सुरक्षा अधिकारी, भारत एल्यूमिनियम लि., कोरबा को दिनांक 21-6-1973 से पदेन कमांडेन्ट के रूप में।

5. श्री सुखदेव सिंह, वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया, नांगल यूनिट को दिनांक 22-6-1973 से पदेन कमांडेन्ट के रूप में।

6. श्री बी. एम. पटनायक, सुरक्षा अधिकारी, पाराद्वीप पोर्ट ट्रस्ट को दिनांक 28-11-1972 से पदेन सहायक कमांडेन्ट के रूप में।

7. श्री डी. एन. करकुन, सुरक्षा अधिकारी, (भिलाई) स्टील प्लांट को दिनांक 4-5-1972 से पदेन सहायक कमांडेन्ट के रूप में।

8. सर्वश्री एल. बी. भट्टाचार्य तथा एम. के. सिन्हा, सुरक्षा अधिकारी दुर्गापुर स्टील प्लांट को दिनांक 15-2-1971 से पदेन सहायक कमांडेन्टों के रूप में।

[सं. ई-17017/73-एडी-1/पर्स-1]

पी. के. जी. काइमल, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 28th December, 1973

G.S.R. 78.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Central Industrial Security Force Act, 1958, the Central Government has made the following appointments in the Central Industrial Security Force :

1. Shri S. N. Srivastava, IPS Chief (Security), Bharat Coking Coal Limited, Jharia as ex-officio Deputy Inspector General with effect from 22-8-1972.

2. Shri Mohd. Ali, IPS, Chief Security Officer, Indian drugs and Pharmaceuticals Limited, Hyderabad as ex-officio Deputy Inspector General with effect from 16-9-1972.

3. Shri M. Sen, Chief Security Officer, Mining and Allied Machinery Corporation, Durgapur as ex-officio Commandant with effect from 17-7-1971.

4. Shri P. N. Shukla, Security Officer, Bharat Almunium Limited, Korba, as ex-officio Commandant with effect from 21-6-1973.

5. Shri Sukhdev Singh, Senior Security Officer, Fertilizer Corporation of India, Nangal Unit, as ex-officio Commandant with effect from 22-6-1973.

6. Shri B. M. Pattanayak, Security Officer, Paradeep Port Trust, as ex-officio Assistant Commandant with effect from 28-11-1972.

7. Shri D. N. Karkun, Security Officer, Bhillai Steel Plant, as ex-officio Assistant Commandant with effect from 4-5-1972.

8. Sarvashri L. B. Bhattacharya and M. K. Sinha, Security Officers, Durgapur Steel Plant, as ex-officio Assistant Commandants with effect from 15-2-1971.

[No. E-17017/1/73-AD. I/PERS. I]

P. K. G. KAIMAL, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1973

का. आ. 79.—यतः न्यूक्लियर फ्यूएल, कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारतीय स्टेट बैंक से मानक स्वर्ण-शलाकों के दस किलोग्राम अर्जित करने और 99.999 प्रतिशत की शुद्धता की इलेक्ट्रोनिक ग्रेड क्वालिटी तक उन्हें परिष्कृत करने और फिर अर्धचालक प्रौद्योगिकी के लिए उनसे तार तथा चादर विनिर्मित करने और ऐसी तारों और चादरों को इलेक्ट्रोनिक संबंधी उद्योगों को बेचने के लिए आशय रखता है ;

और यतः पश्चिमी भारत की एकमात्र परिष्करणशाला, अर्थात् भारत सरकार टकसाल, मुम्बई केवल 99.99 प्रतिशत की शुद्धता तक स्वर्ण परिष्कृत कर सकता है ;

और यतः इलेक्ट्रोनिक संबंधी उद्योगों के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक है ,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, मेसर्स न्यूक्लियर फ्यूएल कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद को उक्त अधिनियम की धारा 18, धारा 20 और धारा 21 के उपबंधों के प्रवर्तन से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् :—

(1) न्यूक्लियर फ्यूएल कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद द्वारा परिष्कृत किया जाने वाले स्वर्ण, प्रशासक द्वारा जारी किए जाने वाले प्राधिकारों के अधीन, और उनमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन ही अर्जित किया जाएगा ;

(2) स्वर्ण इलेक्ट्रोनिक ग्रेड क्वालिटी तक परिष्कृत किया जाएगा और उसका उपयोग एक थाउंडिया के तारों और अर्धचालक प्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए चादरों के विनिर्माण के लिए किया जाएगा और ऐसी तार और चादरें, प्रशासक द्वारा जारी किए जाने वाले प्राधिकारों के अधीन केवल इलेक्ट्रोनिक संबंधी उद्योगों को बेची जाएंगी या व्ययनित की जाएंगी ;

(3) न्यूक्लियर फ्यूएल कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद, इस प्रकार अर्जित, संसाधित और परिष्कृत स्वर्ण की तथा उससे बनी तारों और चादरों के विक्रय या व्ययन की भी बाबत उचित अभिलेख रखेगा ।

[सं. 141/14/72-जी. सी.2]

एम. ए. रंगास्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

ORDER

New Delhi, the 26th December, 1973

S.O. 79.—Whereas the Nuclear Fuel Complex, Hyderabad, of the Atomic Energy Department intends to acquire ten kilogrames of standard gold bars from the State Bank of India and to refine them to the electronic grade quality of a purity of 99.999 per cent and further to manufacture wires and sheets there from for semi-conductor technology and to sell such wires and sheets to electronics industries;

And whereas the only refinery in Western India, namely the Government of India Mint at Bombay, can refine gold only up to a purity of 99.99 per cent;

And whereas, for the development of electronics industries it is necessary so to do ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 109 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government, being of the opinion that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Messrs Nuclear Fuel Complex, Hyderabad, from the operation of the provisions of section 18, section 20 and section 21 of the said Act, subject to the following conditions, namely :—

(i) the gold to be refined by the Nuclear Fuel Complex, Hyderbad, shall be acquired only under and subject to the conditions specified in, authorisations to be issued by the Administrator ;

(ii) the gold shall be refined to electronics grade quality and that it shall be used for manufacture of wires of one thou dia and sheets for use in the semi-conductor technology and that such wires and sheets shall be sold or disposed of to electronics industries only under authorisations to be issued by the Administrator ;

(iii) the Nuclear Fuel Complex, Hyderabad, shall maintain proper records in respect of the gold so acquired, processed and refined and also of the sales or disposal of the wires and sheets made therefrom.

[F. No. 141/14/72-GC. II]

M. A. RANGASWAMY, Joint Secy.

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 24th December, 1973

S.O. 80.—In exercise of the powers conferred by the Proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and of all other powers enabling him in this behalf, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in respect of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Eleventh Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come in force on the date of their Publication in the Official Gazette.

2. In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 in clause (c) of sub-rule (1) of rule 12, for the word "marriages", the words "betrothal or marriages" shall be substituted.

[No. F. 32(3)-EV/67-GPF]

New Delhi, the 27th December, 1973

S.O. 81.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and of all other powers enabling him in this behalf, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor-General in respect of persons employed in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Twelfth Amendment Rules, 1973;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, in the Fifth Schedule, in paragraph 2, for the entries "Senior Deputy Accountant General (Admn.), Andhra Pradesh, Hyderabad", "Senior Deputy Accountant General (Admn.), U.P., Allahabad", "Senior Deputy Accountant General (Admn.)/Deputy Accountant General (Admn.), Commerce,

Works and Miscellaneous, New Delhi", the following entries shall respectively be substituted namely :—

"Senior Deputy Accountant General (Admn.)/Deputy Accountant General (Admn.), Andhra Pradesh, Hyderabad";

"Senior Deputy Accountant General (Admn.)/Deputy Accountant General (Admn.), Uttar Pradesh, Allahabad";

"Senior Deputy Accountant General (Admn.)/Deputy Accountant General (Admn.), Commerce, Works & Miscellaneous, New Delhi, Bombay and Calcutta."

[No. 13(8)-EV. (B)/72]

S. S. L. MALHOTRA, Under Secy.

(व्यय विभाग)

(रक्षा प्रभाग)

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1974

का. आ. 82.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा लेखा (वर्ग 3 और 4 पद) भर्ती नियम, 1970, में आगे और निम्न संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम रक्षा लेखा (वर्ग 3 और 4 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1974 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा लेखा (वर्ग 3 और 4 पद) भर्ती नियम, 1970 की अनुसूची के भाग 1 वर्ग 3 सेवा में :—

(क) क्रम संख्या 1 में स्तम्भ 12 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"उन व्यक्तियों में से प्रोन्नति जिन्होंने विभागीय अधिनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।"

(ख) क्रम संख्या 2 में "चयन-श्रेणी लिपिक (रोस्टर 'ए')" तथा उस क्रम संख्या के सामने वाली प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

(ग) क्रम संख्या 3 में :—

(1) स्तम्भ 1 में "(रोस्टर 'बी')" कोष्टक, शब्द और अक्षर का लोप कर दिया जायेगा।

(2) स्तम्भ 12 की प्रविष्टि में, शब्दावली और लिपिकीय कर्मचारीवृन्द में से, जिसमें वह की पंच आपरेटर और आशुलिपिक भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान की (अन्तिम परीक्षा) में अर्हता प्राप्त कर ली हो" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

[सं. 0698/प्रशा-एच]

सत्यपाल वर्मा, सहायक वित्तीय सलाहकार

(Defence Division)

New Delhi, the 4th January, 1974

S.O. 82.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following further amendments to the Defence Accounts (Class III and IV posts) Recruitment Rules, 1970, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Accounts (Class III and IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Accounts (Class III and IV posts) Recruitment Rules, 1970, in the Schedule, in Part I Class III service,—

(a) In serial No. 1, for the entry in column 12, the following entry shall be substituted, namely :—

"Promotion from among those who have passed the Departmental Subordinate Accounts Service Examination";

(b) in serial No. 2 "Selection Grade Clerks (Roster 'A' and the entries occurring against that serial number shall be omitted;

(c) in serial No. 3,—

(i) in column 1, the brackets, word and letter "(Roster 'B')" shall be omitted;

(ii) in the entry in column 12, the words "and also from among the clerical staff including Key Punch Operators and Stenographers who have qualified in the Institute of Cost and Works Accountants (Final Examination)" shall be omitted.

[No. 0698/AN-H]

S. P. VARMA, Asstt. Financial Adviser

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1973

(इलायची नियंत्रण)

का. आ. 83.—यतः इलायची बोर्ड के अध्यक्ष की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतः अब, इलायची (अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) नियम, 1968 के नियम 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार प्रत्येक दलाल को उक्त नियमों से संलग्न प्रारूप 'ख' में उपवर्णित शर्तों के पैरा 5 के उन उपबंधों से जो ऐसे प्लांटर से जिसकी सम्पदा रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई है, इलायची उपार्जन करने का प्रतिषेध करने से संबंधित है, 1 जनवरी 1974 से आठ महीने की अवधि के लिए एतद्द्वारा इस शर्त के अधीन छूट देती है कि प्लांटर ने अपनी संपदा के रजिस्ट्रीकरण के लिए समय पर आवेदन किया है।

[फा. सं. 32/8/72-प्लांट (बी)]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 31st December, 1973

(CARDAMOM CONTROL)

S.O. 83.—Whereas, on the recommendation of the Chairman of the Cardamom Board the Central Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 11 of the Cardamom (Licensing and Registration) Rules, 1968, the Central Government hereby exempts, for a period of eight months, with effect from the 1st January 1974, every broker from so much of the provisions of paragraph 5 of the conditions set out in Form 'B' appended to the said rules as relate to prohibiting the procurement of cardamom from a planter whose estate has not been registered, subject

to the condition that such planter has applied for registration of his estate in time.

[F. No. 32/8/72-Plant (B)]

का. आ. 84.—यतः इलायची बोर्ड के अध्यक्ष की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतः अब, इलायची (अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) नियम, 1968 के नियम 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार किसी व्यवहारी को उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 'ग' में उपवर्णित शर्तों के पैरा 1 के उन उपबन्धों से, जो ऐसी संपदा से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं हुई है, इलायची के क्रय के प्रतिषेध करने से तथा उक्त संपदा से उसके द्वारा क्रय की गई इलायची के परिणाम की बाबत ऐसे व्यवहारी द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टर में संपदा की रजिस्टर संख्या दर्शित करने से संबंधित है, 1 जनवरी, 1974 से आठ महीने की अवधि के लिए एतद्द्वारा इस शर्त के अधीन छूट देती है कि ऐसी संपदा के प्लांटर ने अपनी संपदा के रजिस्ट्रीकरण के लिए समय पर आवेदन किया है।

[फा. सं. 32/8/72-प्लांट (बी)]

S.O. 84.—Whereas, on the recommendation of the Chairman of the Cardamom Board, the Central Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 11 of the Cardamom (Licensing and Registration) Rules, 1968, the Central Government hereby exempts, for a period of eight months, with effect from the 1st January 1974, a dealer from so much of the provisions of paragraph 1 of the conditions set out in Form 'C' appended to the said rules, as relate to prohibiting the purchase of cardamom from an estate which has not been registered and to showing the register number of the estate in the register required to be maintained by such dealer in respect of the quantity of cardamom purchased by him from the said estate, subject to the condition that the planter of such estate has applied for registration of his estate in time.

[F. No. 32/8/72-Plant (B).]

का. आ. 85.—यतः इलायची बोर्ड के अध्यक्ष की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतः अब, इलायची (अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) नियम, 1968 के नियम 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार प्रत्येक नीलामकर्ता को उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप "ख" में उपवर्णित शर्तों के पैरा 4 के उपपैरा (क) के उन उपबंधों से जो अरजिस्ट्रीकृत संपदा की दशा में ऐसे नीलामकर्ता द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टर में प्लांटर की संपदा की रजिस्टर संख्या दर्शित करने से संबंधित है, 1 जनवरी, 1974 से 8 महीने की अवधि के लिए एतद्द्वारा इस शर्त के अधीन छूट देती है कि नीलामकर्ता का समाधान हो गया है कि प्लांटर ने अपनी संपदा के रजिस्ट्रीकरण के लिए समय पर आवेदन किया है।

[फा. सं. 32/8/72 प्लांट (बी)]

एस. महादेव अय्यर, अवर सचिव

S.O. 85.—Whereas, on the recommendation of the Chairman of the Cardamom Board, the Central Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 11 of the Cardamom (Licensing and Registration) Rules, 1968, the Central Government hereby exempts, for a period of eight months, with effect from the 1st January 1974, every auctioneer from so much of the provisions of sub-paragraph (a) of paragraph 4 of the conditions set out in Form 'B' appended to the said rules, as relate to showing the register number of the estate of the planter in the register required to be maintained by such auctioneer, if such estate has not been registered, subject to the condition that the auctioneer is satisfied that such planter has applied for registration of his estate in time.

[F. No. 32/8/72-Plant B.]

S. MAHADEVA IYER, Under Secy.

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1973

का. आ. 86.—सिक्किम, गंगटोक में, भारत के लिए राजनीतिक अधिकारी को स्वतंत्र स्रोतों से शराब, सिगरेट और विविध व्यवस्थाओं के लिए 8,000 रुपये मूल्य का एक आयात लाइसेंस संख्या जी/ए/1058619/सी/एक्स एक्स/46/एच/35-36 दिनांक 3-1-73 प्रदान किया गया था। उन्होंने लाइसेंस (दोनों प्रतियों) की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस खो गया/अस्थानस्थ हो गया है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक वचन-पत्र दाखिल किया है कि अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि मूल लाइसेंस संख्या जी/ए/1058619 दिनांक 3-1-73 खो गया/अस्थानस्थ हो गया है और निदेश देता है कि उक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति उनको जारी की जानी चाहिए। मूल लाइसेंस (दोनों प्रतियों) को रद्द किया जाता है। लाइसेंस की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या सेंट/347/72-73/पी एल एस (बी)]

सरदूल सिंह, उप-मुख्य नियंत्रक,
कृते मुख्य नियंत्रक.

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 4th December, 1973

S.O. 86.—The political Officer for India in Sikkim, Gangtok were granted an Import licence No. G/A/1059619/C/XX/46/H/35.36 dt. 3-1-1973 from free resources for the import of liquor, Cigarettes and Miscellaneous provisional valued at Rs. 8,000/-. They have requested for the issue of duplicate copy of the licence (both copies) on the ground that the original licence has been misplaced/lost by them.

In support of their contention the applicant have filed an undertaking. The undersigned is satisfied that the original licence No. G/A/1058619 dt. 3-1-1973 has been lost/misplaced and directs that a duplicate copy of the said licence should be issued to them. The original licence (both copies) is cancelled. Duplicate copy of the licence is being issued separately.

[No. CENT/347/72-73/PLS(B).]

SARDUL SINGH, Dy. Chief Controller,
for Chief Controller.

उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

बंगलौर, 21 अक्तूबर, 1973

विषय:—13,387 रुपये के लिए जारी किए गए लाइसेंस सं. पी/एस/1724033/सी/एक्स एक्स/44/एक्स/33 - 34 दिनांक 11-7-1972 की सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति को रद्द करना।

का. आ. 87.—सर्वश्री वेंकटेश्वर जरी इन्डस्ट्रीज सं. 29, प्रथम मेन रोड, डी-स्ट्रीट होसागुड्डादहल्ली मैसूर रोड, बंगलौर-26 को पॉलिस्टर मैटेलाइजड फिल्म, पॉलिस्टर फिल्म तथा चिपकाने रबड़ गार्ड का आयात करने के लिए एक आयात लाइसेंस सं पी/एस/1724033 सी/एक्सएक्स/44/एक्स/33-34 दिनांक 11-7-1972 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने अब उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क कार्यसंबंधी प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना और उसका बिलकुल उपयोग किए बिना ही खो गई है और अब उन्हें अनुलिपि सीमा-शुल्क कार्यसंबंधी प्रति की आवश्यकता शेष मूल्य अर्थात 13,387 रुपये के लिए है।

उपर्युक्त तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क कार्यसंबंधी प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क कार्यसंबंधी प्रति जारी की जानी चाहिए। उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क कार्य-संबंधी प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

[सं. आई टी सी/एस एस आई/डी आई/2003/सी750/ए एम/72/एन सी/एन पी]

के. जयरमन, उप-मुख्य नियंत्रक,

(Office of the Dy. Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

Bangalore, the 24th October, 1973

Sub : Cancellation of Customs Purposes Copy of Licence No. P/S/1724033/C/XX/44/X/33-34 dated 11-7-1972 for Rs. 13,387.

S.O. 87.—Messrs. Sri Venkateswara Jari Industries, No. 29, 1st Main Road, D. Street, Hosaguddadahalli, Mysore Road, Bangalore-26, were granted import Licence No. P/S/1724033/C/XX/44/X/33-34 dated 11-7-1972 for import of Polyster Metalised Film, Polyster Films and Adhesive Rubber Gaurd. They have now applied for duplicate copy of Customs Purposes Copy of the above licence on the ground that the original of the above Customs Purposes Copy of the licence has been lost without having been registered with any Customs Authorities and not utilised at all and that the duplicate copy of Customs Purposes Copy of the above licence now required is for the full value of licence i.e., Rs. 13,387.

In support of the above contention, the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the Original Customs Purposes Copy of the above licence has been lost and direct that a duplicate copy of the Customs Purposes Copy of the above licence should be issued to the applicant. The Original Customs Purposes Copy of the above licence is hereby cancelled.

[No. ITC/SSI/DI/2003/C. 750/AM 72/NC/NP.]
K. JAYARAMAN, Dy. Chief Controller

(उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

हैदराबाद, 29 अगस्त, 1973

विषय :—अन्तिम उत्पाद प्रवर्धकोंके लिये अप्रैल-मार्च 70 के लिये जारी किये गए लाइसेंस सं० पी/एस/1633878/सी/एक्स एक्स/33 29-30 दिनांक 18-12-69 को रद्द करना।

का. आ. 88.—सर्वश्री अशोक इंजीनियरिंग कारपोरेशन 11-31-13/1 समारंगन चौक पार्क रोड विजयवाड़ा-1 को सामान्य मुद्रा क्षेत्र में निम्न पष्ठ पर उल्लिखित मदों के लिये 8184 रुपये (आठ हजार एक सौ चौरासी रुपये मात्र) मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं० पी/एस/1633878/सी एक्स एक्स/33/29-30 दिनांक 18-12-69 प्रदान किया गया था।

2. उन्होंने लाईसेंस की सीमा निकासी प्रति की अनुलिपि के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस सीमा-शुल्क कार्यालय बम्बई में पंजीकृत कराने के बाद लेकिन 600 रुपये के शेष मूल्य का उपयोग किये बिना खो गया है।

3. अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क निकासी प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि इस की अनुलिपि आवेदक को जारी की जानी चाहिये। लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क निकासी प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

लाईसेंस सं० पी/एस दिनांक 18-12-69 से संलग्न सूची

क्रम सं०	संघटकों का नाम	मूल्य सीमा जिस तक लाइसेंस के अंकित मूल्य के भीतर आयात की अनुमति होगी
	प्रवर्धकों के संघटक पुर्जे	
1.	निम्नलिखित किस्मों से भिन्न वाल्व:	
	1. ई जैड 80 6. ई एम 84 11. ई बी एफ 83	
	2. ई बी सी 81 7. ई सी एफ 89 12. ई जैड 81	
	3. ई एफ 89 8. ई सी एल 82 13. ई मी 81	50%
	4. ई एल 84 9. ई एन 86 14. यू वाई 85	
	5. ई सी एच 81 10. ई सी एच 83 15. यू वी सी 81	
	16. यू एफ 89 24. सी सी 5773	
	17. यू सी एच० 81 25. सी वी 2347	
	18. यू एल 84 26. सी वी 440	
	19. यू एम 84 27. सी वी 449/85 ए 2	
	20. यू वी एफ 89 28. 5654	
	21. यू सी एल 82 29. एस 150/3 ओ ए 2. सी वी/1832	
	22. ई सी सी 83 30. ई एफ 95	
	23. ई सी सी 82 31. ई सी सी वी 1	
2.	2500 एम एफ ओ कोटि के कम वाल्टेज वाले विद्युतविश्लेषी धारित्र . . .	10%
3.	250 वी और अधिक हाई वाल्टेज वाले विद्युत विश्लेषी धारित्र	10%
4.	कम्पित्र	50%
5	पोटेंशिओ मीटर्स आई० ई० वाल्यूम कन्ट्रोल्स या टोन कन्ट्रोल्स, गैन्ग या डयूअल या मिलिएचराइज्ड या वायर वेन्ड किस्में . . .	10%
6.	5 वाट और अधिक के डिसिपेशन वाले ट्रांजिस्टर्स 1 ए एम पी और अधिक के निर्धारणमान के साथ डायोड्स और 10 ओ एच एस और कम निर्धारणमान के साथ थरमिस्टर्स . .	70%
7.	लैमिनेशन्स हाई परमिसिबिलिटी, कनेक्टर्स, जैक्स और प्लग्स तथा उनके पुर्जे, इन्सुलेटिंग, सामग्री .	10%

इस नीति के अन्तर्गत संघटकों/सामग्री के लिए जारी किया गया आयात लाइसेंस प्रवर्धकों की मरम्मत के लिए अपेक्षित संघटकों के आयात के लिए भी लाइसेंस के समस्त मूल्य के भीतर उसके अंकित मूल्य के 2 1/2— तक वैध होगा।

(फा सं. इलैक्ट/5/ए एम-70/एस एस आई/हैदराबाद)

पी० गोविन्द राजू, उप-मुख्य नियंत्रक

(Office of the Dy. Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

Hyderabad, the 29th August, 1973

Sub :—Cancellation of Licence No. P/S/1633878/C/XX/33/29-30, dt. 18-12-69 issued for April-March 70 for the end-product 'Amplifiers'.

S.O.88.— 1. M/s. Ashok Engineering Corporation, 11-31-13/4, Samarangam Chowk, Park Road, Vijayawada-1, were granted an import licence No. P/S/1633878/C/XX/33/29-30, dt. 18-12-69 for Rs. 8184 (Rupees Eight thousand one hundred and eighty four only) for the item mentioned below for import from General Currency Area.

2. They have applied for a duplicate copy of the Customs Purposes copy of the Licence on the ground that the Original Licence has been lost after having registered with Bombay Customs House but without utilising the balance value of Rs. 600.

3. In support of their contention they have filed an affidavit. I am satisfied that the original Customs Purposes copy of the Licence is lost and direct that a duplicate Customs Purposes copy of the Licence should be issued to the applicant. The Original Customs Purposes copy of the licence is hereby cancelled.

LIST ATTACHED IN LICENCE NO. P/S/ 1633878 DATED 18-12-96.

S.No.	Name of components	Value limit upto which import will be allowed within the face value of the licence.

COMPONENT PARTS OF AMPLIFIERS

1. Valves other than the following types. 50%

1. EZ 80	11. EBF 83	21. UCL 82
2. EBC 81	12. EZ 81	22. ECC 83
3. EF 89	13. EC 81	23. ECC 82
4. EL 84	14. UY 85	24. CV 5773
5. ECH 81	15. UBC 81	25. CV 2347
6. EM 84	16. UF 89	26. CV 440
7. EBF 89	17. UCH 81	27. CV 449/85 A2/
8. ECL 82	18. UL 84	28. 5654
9. EL 86	19. UM 84	29. S150/30/OA2.CV 1832/
10. ECH 83	20. UBF 89	30. EF 95
		31. ECC B1

2. Electrolytic Condensers low voltage of Rating 2500 MFO	10%
3. Electrolytic Condensers High Voltage 250 V and above	10%
4. Vibrators	50%
5. Potentio meters I.E. Volume Controls or Tone Control, Gang or Dual or Miniaturised or Wire Wound Types	10%
6. Transistors having Disipation of 5 Watts and above, diodes with a rating of 1 AMP. and above and thermistors with a rating of 10 ohms and below	70%
7. Laminations high permeability, connectors, jacks and plugs and parts thereof, insulating materials	10%

Import licence for components/materials issued under this policy will also be valid for import of components required for the servicing of amplifiers upto 2½ % of the face value of the licence within the overall value of the licence.

[File No. Elect/5/AM-70/SSI/Hyd.]

R. JAYARAM NAIDU, Dy. Chief Controller.

संयुक्त मुख्य नियंत्रक भ्रायात-निर्यात का कार्यालय

(लोहा तथा इस्पात प्रभाग)

भ्रादेश

कलकत्ता, 18 अगस्त, 1973

विषय—मर्वश्री दमेहरा स्टील एंड फोर्जिंगस प्रा० लि० 15 जी०टी० रोड, हावड़ा को जारी किए गए लाइसेंस सं० पी/एस/8221664/आर/ एम एल/46 सी/33-34/01/413 दिनांक 3-1-73 की मुद्रा विनिमय/ भ्रौर सीमा-शुल्क निकासी कार्य संबंधी प्रति को रद्द करना ।

का. भ्रा. 89.—मर्वश्री दमेहरा स्टीलस एंड फोर्जिंगस प्रा० लि० 15 जी० टी० रोड, हावड़ा को 1971–72 भ्रवधि के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृति किया गया था ।

भ्रायात लाइसेंस की सं० तथा दिनांक	विवरण	मूल्य
पी०/एस/8221664/भ्रार० एम०एल/46/सी/ 33-34 01/413 दिनांक 3-1-73	भ्राइट बार शिफटिंग के निर्माण के लिए परिशिष्ट 41-भ्रनुसूची 'सी' की क्रम सं 12 के भ्रनुसार प्राइम टूल तथा अलाय स्टील भ्रर्थात् निकल क्रोम 1.5% निकल, 2% क्रोम, 0.25% कार्बन, 0.06 %मोलिब्डीनम	16,688 रुपये (सोलह हजार छः सौ भ्रट्ठासी रुपये मात्र)

उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस (सों) के शेष मूल्य 16.600 रुपये की भ्रनुलिपि मुद्रा विनिमय/ तथा सीमा-शुल्क निकासी कार्य संबंधी प्रति (प्रतियों) के लिये इस भ्राधार पर भ्रावेदन किया है । चूंकि उन्होंने इस बात की पुष्टि कर ली है कि उपर्युक्त लाइसेंसों की मुद्रा विनिमय/तथा सीमा-शुल्क निकासी कार्य संबंधी प्रति(प्रतियां) सीमा-शुल्क कार्यालय किसी भी सीमा-शुल्क कार्यालय में पंजीकृत कराए बिना भ्रौर उसके किसी भी भाग का उपयोग किये बिना ही खो गई है । कुल मूल्य जिसके लिये लाइसेंस जारी किया गया था/थे वह 16,688 रुपये (सोलह हजार छः सौ भ्रट्ठासी रुपये मात्र) है/है भ्रौर कुल धनराशि जिस के लिये मूल प्रति (यों) का उपयोग कर लिया गया था/थे वह शून्य है/है । भ्रनुलिपि मुद्रा विनिमय/तथा सीमा-शुल्क निकासी कार्य संबंधी प्रति(यों) जिसकी भ्रब आवश्यकता है/हैं वह पूरे मूल्य 16,688 रुपये (सोलह हजार छः सौ भ्रट्ठासी रुपये मात्र) के लिये है/है ।

2. इस तर्क के समर्थन में भ्रावेदक ने मर्वश्री दमेहरा स्टील्स एंड फोर्जिंग प्रा० लि०, कलकत्ता द्वारा विधिवत् प्रमाणित स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है ।

3. मै संतुष्ट हूं कि लाइसेंस सं० पी/एस/8221664/भ्रार/एम एल/46/सी/33-34/01/413 दिनांक 3-1-73 की सीमा-शुल्क निकासी प्रति/तथा मुद्रा विनिमय प्रति खो गई है/हैं भ्रौर निदेश देता हूं कि भ्रावेदक को भ्रायात लाइसेंस के पूरे मूल्य भ्रर्थात् 16,688 रुपये (सोलह हजार छः सौ भ्रट्ठासी रुपये मात्र) के लिये भ्रनुलिपि मुद्रा विनिमय/तथा सीमा-शुल्क निकासी प्रति(यां) जारी की जानी चाहिये । उपर्युक्त लाइसेंस(सों) की मुद्रा विनिमय/सीमा-शुल्क निकासी प्रति(यां) 16,688 रुपये मूल्य के लिये रद्द की जाती है/हैं ।

[सं जे सी/भ्राई एण्ड एम/2/01/413/72]

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports)
(Iron & Steel Divison)

ORDFR

Calcutta, the 18th August, 1973

SUB:—Cancellation of Exchange & Customs Clearance Purpose copy of import licence No. P/S/8221664/R/ML/46/C/33-34/01/413 dated 3-1-73 issued to M/s. Damehra Steels & Forgings Pvt. Ltd., 15, G. T. Road, Lilloah, Howrah.

S.O. 89—M/s. Damehra Steels & Forgings Pvt. Ltd., 15, G. T. Road, Howrah were issued import licence for period 1971-72 as under

I/L. No. & Date	Description	Value
P/S/8221664/R/ML/46/C/33-34/01/413 dt. 3-1-73	Prime Tool & Alloy Steel viz. Nickel Chrome—1.5% Nickel, 2% Chromc, 0.25% Carbon, 0.06% Molybdenum as per Sl. No. 12 of Schedule 'C'-Appendix 41 for manufacture of Bright Bar Shafting.	Rs. 16,688 Rupees sixteen thousand six hundred and eighty-eight only.)

They have applied for duplicate Exchange/& Customs Clearance purposes copy(s) of the above Import licence(s) for the balance value of Rs. 16,688 (Rupees sixteen thousand six hundred & eighty-eight only) since they have confirmed that the Exchange/& Customs clearance copy(s)of the above licence (s) has/have been lost, without having been registered with the Customs House/with any Customs House and without utilising any part. The total amount for which the above licence was/were issued is/are Rs. 16,688 (Rupees sixteen thousand six hundred & eighty-eight only) respectively and the total amount for which the original copy(s) was/were utilised is/are Rs. Nil. The duplicate exchange/& C.C.P. copy(s) now required is/are to cover the entire amount of Rs. 16,688 (Rupees sixteen thousand six hundred & eighty-eight only) respectively.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit on a stamped paper duly attested by M/f. Damehra Steels & Forgings Pvt. Ltd., Calcutta.

3. I am satisfied that the Customs Clearance Copy/& Exchange copy of Import Licences Nos. P/S/8221664/R/ML/46/C/33-34/01/413 dt. 3. 1. 73 has/have been lost and direct that the duplicate Exchange/& Customs Clearance copy (s) of the Import Licences for the full value of Rs. 16,688 (Rupees sixteen thousand six hundred & eighty-eight only), should be issued to the applicant. The Exchange/& Customs Clearance copy (s) of the above import licence (s) is/are cancelled for amout of Rs. 16,618.

[Ref : JC/I&S/II/01/413/72]

आदेश

कलकत्ता, 13 सितम्बर, 1973

का. आ. 90.—सर्वश्री एसपी इंडस्ट्रियल वर्क्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट, जैसीडीह, बिहार को थैलिक एनिहाइड टैरेथैलिक एसिड आदि के आयात के लिए 59253/-रुपये मूल्य का एक लाइसेंस सं. पी/यू/2619615/सी दिनांक 30-4-71 निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किया गया था :—

"यह लाइसेंस इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि इसके अन्तर्गत आयात की गई सभी मदें केवल लाइसेंसधारी के उस कारखाने में उपयोग की जाएगी जिसका पता उस आवेदन पत्र में प्रदर्शित किया गया है जिसके आधार पर यह लाइसेंस जारी किया गया है और जिस एककं/उद्देश्य के लिए विषयाधीन लाइसेंस जारी किया गया है उससे भिन्न किसी भी एककं/उद्देश्य के लिए माल के किसी भी भाग का उपयोग लाइसेंसधारी द्वारा नहीं किया जायेगा या बेचा जायेगा या किसी अन्य पक्ष द्वारा उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी । लाइसेंसधारी लाइसेंस के आधार पर आयात किए गए माल के उपयोग और उपयोग का उचित लेखा रखेगा ।"

2. उसके पश्चात उनको एक कारण-निदर्शन नोटिस सं. 52/72/ई एंड एल दिनांक 5.10.72 यह पूछते हुए जारी किया गया था कि नोटिस जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनको जारी किया गया उक्त लाइसेंस धारा 9 उपधारा (ए) की शर्तों के अनुसार इस आधार पर रद्द क्यों न कर देना चाहिए कि उन्होंने मद हामर गम और बाटू ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित लाइसेंस में धोखेबाजी से सम्मिलित कराई थी ।

3. पूर्वोक्त कारण निर्देशन नोटिस के उत्तर में सर्वश्री एसपी इंडस्ट्रियल वर्क्स, जैसीडीह, बिहार ने अपने पत्र दिनांक 19-10-72 द्वारा एक विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया । अपने उक्त उत्तर में फर्म ने यह तर्क दिया कि विषयाधीन आयात लाइसेंस अतिरिक्त मद के आयात के लिए इस कार्यालय द्वारा उचित रूप से पृष्ठांकित गया था और इसी कारण लाइसेंस को रद्द करने का प्रश्न बिल्कुल भी नहीं उठता है ।

4. कारण निदर्शन नोटिस में फार्म को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी सुअवसर दिया गया था परन्तु उन्होंने उस सुअवसर का स्वयं लाभ नहीं उठाया ।

5. अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिवेदन की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है । उप-निदेशक उद्योग, भागलपुर में संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कलकत्ता के नाम लिखे गए अपने अर्ध सरकारी पत्र सं. 3179/बी जी पी दिनांक 29-9-72 द्वारा यह सूचना दी थी कि अनिवार्यता प्रमाण पत्र सं. 1630 दिनांक 26-8-71 जिसके आधार पर हामर गम लाइसेंस सं. पी/यू/2619615/सी. दिनांक 30-4-71 पर पृष्ठांकित किया गया था वह उसके द्वारा जारी नहीं किया गया था । इसलिए अधोहस्ताक्षरी इस निर्णय पर पहुंचा है कि ऊपर उल्लिखित लाइसेंस में मद हामर गम फार्म द्वारा प्रस्तुत किए गए जाली दस्तावेज के आधार पर पृष्ठांकित कराई गई थी ।

6. पिछले पैरा में जो कुछ कहा गया है उसको ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर देना चाहिए । इसलिए अधोहस्ताक्षरी आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9, उपधारा (ए) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री एसपी इंडस्ट्रियल वर्क्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट, जैसीडीह, बिहार को 59253 रुपये के लिए जारी किये गये लाइसेंस सं. पी/यू/2619615/सी दिनांक 30-4-71 को एतद्द्वारा रद्द करता है ।

[सं. 52/72/ई. एन्ड एल]

ORDER

Calcutta, the 13th September, 1973

S.O. 90.—A licence No. P/U/2619615/C dated 30-4-71 of the value of Rs. 59253 for import of Pthalic Anhydride Terephtalic Acid etc., was issued to M/s. Espee Industrial Works, Industrial Estate, Jasidih, Bihar subject to the conditions as under :—

This licence is issued subject to the conditions that all items imported under it shall be used only in the licence holders Factory at the address shown in the application against which licence is issued

and no portion thereof will be utilised by the licensee for a unit/purpose other than the one for which the licence in question is issued or will be sold or be permitted to be utilised by any other party. The licensee shall maintain proper account of the consumption and utilisation of the goods improved against the licence.

2. Thereafter, a show cause notice No. 52/72/E&L dated 5-10-72 was issued asking them to show cause within 15 days from the date of the notice as to why the said licence in their favour should not be cancelled on the ground that they had got the item Damer Gum & Batu included in the licence referred to in Para 1 above by fraudulent means in terms of Clause 9, sub-clause (a).

3. In response to the aforesaid show cause notice M/s. Espee Industrial Works, Jasidih, Bihar had, by their said letter dated 19-10-72 furnished a detailed explanation. In their said reply the firm contended, that the import licence in question was properly endorsed for import of additional item by this office and as such the question of cancellation of the licence does not arise at all.

4. The firm was also offered an opportunity of Personal Hearing in the show cause notice. But they did not avail themselves of that opportunity.

5. The undersigned has carefully examined the said representation. It was reported by Dy. Director of Industries, Bhagalpur in his D.O. letter No. 3179/BGP dt. 29-9-72 to Jt. Chief Controller of Imports & Exports, Cal., that E.C. No. 1630 dated 26-8-71 on the basis of which Damer Gum was endorsed on licence No. L/II/2619615/C dt. 30-4-71 was not issued by him The undersigned has, therefore, come to the conclusion that the item Damer Gum was endorsed on the licence, referred to above, on the basis of a forged document submitted by the firm.

6. Having regard to what has been stated in the preceding paragraph the undersigned is satisfied that the licence in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned, in exercise of the powers vested in him under Clause 9, sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the licence No. P/U/2619615/C dated 30-4-71 for Rs. 59253 issued in favour of M/s. Espee Industrial Works, Industrial Estate, Jasidih, Bihar.

[No. 52/72/E&L]

आदेश

का. आ. 91.—सर्वश्री स्वास्तिक इन्डस्ट्रियल वर्क्स डाबरग्राम, इंडस्ट्रियल एस्टेट, जैसीडीह, बिहार को नेप्थलीन बीटा नेप्थल फलेक्स, डिएथिलीन ग्लाइकोल आदि के आयात के लिए 37662/-रु मूल्य का एक लाइसेन्स सं. पी/यू/2630223/सी दिनांक 25-8-1971 निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किया गया था :—

"यह लाइसेंस इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि इस के अन्तर्गत आयात की गई सभी मदें केवल लाइसेन्सधारी के उस कारखाने में उपयोग की जायेगी जिसका पता उस आवेदन पत्र में प्रदर्शित किया गया है जिसके आधार पर यह लाइसेन्स जारी किया गया है। जिस एकक/उद्देश्य के लिए विषयाधीन लाइसेन्स जारी किया गया है उससे भिन्न किसी भी एकक/उद्देश्य के लिए माल के किसी भी भाग का उपयोग लाइसेन्सधारी द्वारा नहीं किया जायेगा अथवा बेचा जायेगा या किसी अन्य पक्ष द्वारा उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी। लाइसेन्सधारी लाइसेंस के आधार पर आयात किये गये माल के उपभोग और उपयोग का उचित लेखा रखेगा।"

2. उसके पश्चात् उनको एक कारण-निर्देशन नोटिस सं 52/72/ई एंड/एल दिनांक 5-10-1972 यह पूछते हुए जारी किया गया था कि नोटिस जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कारण बतायें कि उनको जारी किया गया उक्त लाइसेन्स धारा 9, उप-धारा (ए) की शर्तों के अनुसार इस आधार पर रद्द क्यों न कर देना चाहिये कि उन्होंने मद डामर गम और बातू उपर पैरा 1 में उल्लिखित लाइसेन्स में धोखेबाजी से सम्मिलित कराई थी।

3. पूर्वोक्त कारण निर्देशन नोटिस के उत्तर में सर्वश्री स्वास्तिक इन्डस्ट्रियल वर्क्स, डाबरग्राम जैसी डीह बिहार ने अपने पत्र दिनांक 19-10-1972 द्वारा एक विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। अपने उक्त उत्तर में फर्म ने यह तर्क दिया कि विषयाधीन आयात लाइसेन्स अतिरिक्त मद के आयात के लिए इस कार्यालय द्वारा उचित रूप से पृष्ठांकित किया गया था और इसी कारण लाइसेन्स को रद्द करने का प्रश्न बिल्कुल भी नहीं उठता है।

4. कारण निर्देशन नोटिस में फर्म को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी सुअवसर दिया गया था परन्तु उन्होंने उस सुअवसर का स्वयं लाभ नहीं उठाया।

5. अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिवेदन की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है। उप-निदेशक, उद्योग, भागलपुर ने संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कलकत्ता को लिखे गये अपने अर्ध सरकारी पत्र सं. 3179/बीजीपी दिनांक 29-9-1972 द्वारा यह सूचना दी थी कि अनिवार्यता प्रमाणपत्र सं. 1630 दिनांक 26-8-1971 जिसके आधार पर डामर गम लाइसेन्स पी/यू/2630223/सी दिनांक 25-8-1971 पर पृष्ठांकित किया गया था वह उसके द्वारा जारी नहीं किया गया था। इसलिए अधोहस्ताक्षरी इस निर्णय पर पहुंचा है कि ऊपर उल्लिखित लाइसेंस में मद डामर गम फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये जाली दस्तावेज के आधार पर पृष्ठांकित कराई गई थी।

पिछले पैरा में जो कुछ गया है उसको ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेन्स रद्द कर देना चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर देना चाहिए। इसलिए अधोहस्ताक्षरी आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9, उप-धारा (ए) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री स्वास्तिक इन्डस्ट्रियल वर्क्स डाबर ग्राम, इन्डस्ट्रियल एस्टेट, जैसीडीह, बिहार को 37662/- रुपये के लिए जारी किये गये लाइसेन्स सं. पी/यू/2630223/सी दिनांक 25-8-1971 को एतद्द्वारा रद्द करता है।

[संख्या 52/72/ई एंड एल]

बी. के. विश्वास, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

S.O. 91.—A licence No. P/U/2630223/C dated 25-8-71 of the value of Rs. 37662 for import of Napthalene, Betanapthal Flakes, Di-Ethylene Glycol etc. was issued to M/s. Swastika Industrial Works, Dabargram, Industrial Estate, Jasidih, Bihar subject to the conditions as under :—

This licence is issued subject to the conditions that all items imported under it shall be used only in the licence holders Factory at the address shown in the application against which licence is issued and no portion thereof will be utilised by the licensee for a unit/purpose other than the one for which the licence in question is issued or will be sold or be permitted to be utilised by any other party. The licensee shall maintain proper account of the consumption and utilisation of the goods imported against the licence.

2. Therefore, a show cause notice No. 52/72/E&L dated 5-10-72 was issued asking them to show cause within 15 days from the date of the notice as to why the said licence

in their favour should not be cancelled on the ground that they have got the item Dammer Gum included in the licence referred to in para 1 above by fraudulent means in terms of Clause 9, sub-clause (a).

3. In response to the aforesaid show cause notice M/s. Swastika Industrial Works, Jasidih, Bihar had, by their letter dated 19-10-72 furnished a detailed explanation. In their said reply the firm contended that the import licence in question was properly endorsed for import of the additional item by this office and as such the question of cancellation of the licence does not arise at all.

4. The firm was also offered an opportunity of Personal Hearing in the show cause notice. But they did not avail of that opportunity.

5. The undersigned has carefully examined the said representation. It was reported by Dy. Director of Industries, Bhagalpur in his D.O. letter No. 2375 dated 2-8-72 to Jt. Chief Controller of Imports & Exports, Calcutta that the E.C. No. 1665 dt. 3-9-71, on the basis of which Dammer Gum was endorsed on the licence No. P/U/2630223/C dt. 25-8-71 was not issued by him. The undersigned has, therefore, come to the conclusion that the item Dammer Gum was endorsed on the licence referred to above on the basis of a forged document submitted by the firm.

6. Having regard to what has been stated in the preceding paragraph, the undersigned is satisfied that the licence in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned, in exercise of the powers vested in him under Clause 9, sub-clause (a) of the imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the licence No. P/U/2630223/C dt. 25-8-71 for Rs 37662 issued in favour of M/s. Swastika Industrial Works, Dabargram Industrial Estate, Jasidih, Bihar.

[F. No. P/M-44/AM. 72/AU. UT/CLA/2698]

K. R. DHEER, Dy. Chief Controller

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र)

आदेश

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1973

का. आ. 92.—सर्वश्री मोहन इन्डस्ट्रीज, डब्ल्यू जैड-15 उग्रसेन मार्किट, तिलकनगर, नई दिल्ली को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से आई एफ ट्रान्सफार्मर्स तथा टैलिस्कोपिक एरियल्स के लिए कच्चे माल के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ता श्रेणी के अन्तर्गत लाइसेन्स संख्याएं पी/एस/1778002 दिनांक 21-10-1972 और पी/एस/1719652 दिनांक 30-12-1972 प्रदान किये गये थे।

उन्होंने उक्त लाइसेन्सों की सीमाशुल्क निकासी प्रतियों की अनुलिपियां जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रतियां बिल्कुल भी उपयोग किए बिना खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं।

उपर्युक्त कथन के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैंन्डबुक, 1973-74 के पैरा 320 में यथाअपेक्षित शपथपत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंसों की मूल प्रतियां खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं।

आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 के खंड 9 (सी सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं लाइसेंसों की उक्त मूल सीमाशुल्क निकासी प्रतियों को रद्द करने का आदेश देता हूं।

अब आवेदक को पूर्वोक्त लाइसेंसों की अनुलिपि प्रतियां (सीमाशुल्क निकासी प्रतियां) आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैंन्डबुक, 1973-74 के पैरा 320(4) की व्यवस्था के अनुसार जारी की जा रही हैं।

[संख्या पी/एम-44/ए एम. 72/ए यू यू टी/सी एल ए]

के. आर. धीर, उप-मुख्य नियंत्रक

कृते संयुक्त, मुख्य नियंत्रक

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports)

(Central Licensing Area)

New Delhi, the 2nd November, 1973

S.O. 92.—M/s. Mohan Industries, WZ-45 Uggar Sain Market, Tilak Nagar, New Delhi-18 were granted licence Nos. P/S/1778002 dt. 21-10-72 and P/S/1719652 dt. 30-12-72 from G.C.A. under Actual User Category for import of raw material for IF. Transformers & Telescopic Aerials.

They have applied for the issue of duplicate custom purpose copy of the said licences on the ground that the original copies thereof have been lost/misplaced without having been utilised at all.

The applicant has filed affidavit in support of the above statement, as required under Para 320 of I.T.C. Hand Book of Rules & Procedure, 1973-74. I am satisfied that the original copies of the said licences have been lost/misplaced.

In exercise of the powers conferred on me, under Section 9(cc) of Import Control Order, 1955 dated 7-12-55, I order the cancellation of the said original Custom Copies of the licences.

The applicant is now being issued duplicate copy (Custom purpose) of the aforesaid licences in accordance with the provision of para 320(4) of the I.T.C. Hand Book of Rules & Procedure, 1973-74.

[F. No. P|M-44|AM 72|AU. UT|CLA|2698]

K. R DHEER, Dy. Chief Controller

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1973

का. आ. 93.—भारतीय धातु निगम (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1966 (1966 का 36) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा, उस अवधि को, जिसके अंदर भारत सरकार द्वारा इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 5253, तारीख 29 नवम्बर, 1971 द्वारा नियुक्त अधिकरण अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा, एतद्द्वारा 31-12-1974 तक बढ़ाया जाता है।

[संख्या-7 (1)/71-धातु-2]

महेन्द्र स्वरूप भटनागर, अवर सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

New Delhi the 31st December, 1973

S.O. 93.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Metal Corporation of India (Acquisition of Undertaking) Act, 1966 (36 of 1966), the Central Government hereby extends upto the 31st December, 1974, the period within which the Tribunal constituted by the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Ispat Aur Khan Mantralaya) (Department of Mines—Khan Vibhag) by notification No. S.O. 5253, dated the 29th November, 1971, shall make its report to the Central Government.

[No. 7(1)/71-Met. II]

M. S. BHATNAGAR, Under Secy.

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

ORDER

New Delhi, the 1st January, 1974

S.O. 94.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 3 of the Aircraft Rules, 1937, the Central Government hereby makes the following amendment in the order of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation No. S.O. 2547, dated the 29th August, 1973, namely :—

In the Schedule to the said order, against S. No. 1, in column 3, after item (v), the following item shall be inserted, namely :—

"(vi) Pre-investment Survey of Forest Resources, Dehra-Dun."

[F. No. Av. 11016/2/73-A/AR/1937(1)/1974]

S. N. KAUL, Dy. Secy.

भारतीय डाक-तार विभाग

(डाक-तार महानिदेशालय का कार्यालय)

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1973

विषय :—एच. टी. सब स्टेशन के लिए विद्युत निरीक्षकों का नामांकन

का. आ. 95.—डाक-तार विभाग के अधिशासी अभियन्ता सर्वश्री एस. पद्मानाभन तथा आर. के. गुप्ता को तत्काल से विद्युत निरीक्षक नामित किया गया है। ये डाक-तार विभाग के सभी विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण एवं अनुमोदन करेंगे।

[संख्या-29-18/63/टी पी एस (पी टी)]

एस. एन. रंगानाथन, सदस्य (टी. डी.)

INDIAN POSTS & TELEGRAPHS DEPARTMENT

(Office of the Director General Posts & Telegraphs)

New Delhi, the 22nd November, 1973

Subject :—Nomination of Electrical Inspectors for HT Sub-Station.

S.O. 95.—S/Shri S. Padmanabhan and R. K. Gupta, Executive Engineers of the P & T Department have been nominated as Electrical Inspectors with immediate effect. They would inspect and approve all Electrical installations of P & T Department.

[No. 29-18/63/TPS(PT)]

S. N. RANGANATHAN, Member (TD)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1973

का. आ. 96.—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 के अधिनियम 9) की धारा 82 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, 31 मई, 1973 को पश्चिम रेलवे के मलाड स्टेशन पर एस. डब्ल्यू 485 डाउन और एस. डब्ल्यू. 489 डाउन गाड़ियों के बीच हुई दुर्घटना से पैदा होने वाले क्षति-पूर्ति के दावों को निपटाने के लिए, श्री के. सी सूरना, संयुक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नागपुर को पूर्णकालिक दावा आयुक्त के रूप में नियुक्त करती हैं। उनका मुख्यालय थाना में रहेगा।

[सं. ई. (औ.) 2-73/ए. पी.-1/2]

अमृत लाल गुप्ता, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 22nd December, 1973

S.O. 96.—In exercise of the powers conferred by section 82B of the Indian Railways Act, 1890 (Act IX of 1890), the Central Government hereby appoints Shri K. C. Surana, Joint Judge and Additional Sessions Judge, Nagpur, as a whole-time Claims Commissioner to deal with the claims for compensation arising out of the accident involving SW 485 DN and SW 489 DN Trains at Malad Railway Station of the Western Railway on 31st May. His headquarters will be at Thana.

[No. E(O)II-73/AP-1/2.]

A. L. GUPTA, Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1974

का० आ० 97—यतः जे० एण्ड के० मिनरल्स लि०, जम्मू के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व जम्मू एण्ड काश्मीर मिनरल्स वर्कर्स फेडरेशन काला कोट, जम्मू करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः उक्त नियोजकों और उनके कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को, जो उसे 28 दिसम्बर, 1973 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

के बीच

पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : विभागीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, उप मुख्य खनन इंजीनियर, जे० एण्ड के० मिनरल्स लि०, सहायक सचिव, जे० के० एम०

कर्मकारों के प्रतिनिधित्व करने वाले : जे० एण्ड के० मिनरल्स वर्कर्स एसोसियेशन, के० एम० के०

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री मीर हुस्सामुल्लाह आई० ए० एस०, प्रभागीय आयुक्त (जम्मू और काश्मीर राज्य) जम्मू प्रान्त के मध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है :—

(यहां मध्यस्थ (मध्यस्थों) के नामों और पता (पतों) निर्देशित करें) :-

1. विनिर्दिष्ट विवाद-ग्रस्त विषय	1. कालाकोट में पदों पर जे० एण्ड के० मिनरल्स कर्मचारियों द्वारा लाभ उठाये जाने वाले विभिन्न भत्तों और अन्य लाभों को ध्यान में रखते हुए सरकार के आदेश सं० ए०/19(73)-714, दिनांक 30-6-1973 की दृष्टि से कालाकोट क्षेत्र में काम करने वाले जे० एण्ड के० मिनरल्स कर्मचारियों को क्या लाभ दिए जाने चाहिए। 2. किस वर्ग के श्रमिक/कर्मचारी भत्ते के पात्र होने चाहिए। 3 तारीख जिससे यह लागू होना चाहिए ,:
2. विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है।	1 जे० एण्ड के० मिनरल्स लि० (जम्मू और कश्मीर सरकार का एक उपक्रम), दी बन्ड, श्रीनगर, कश्मीर (पंजीकृत कार्यालय)। 2. जे० एण्ड के० मिनरल्स वर्कर्स एसोसियेशन कालाकोट (पंजीकृत संख्या 199) ।
3. यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम.	जे० एण्ड के० मिनरल्स वर्कर्स एसोसियेशन, कालाकोट .
4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या :	लगभग 1700
5. विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यत : प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या :	140

पक्षकारों के हस्ताक्षर

(वी० एस० वर्मा)

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले

वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी

ह० |- के० सी० दास गुप्त,

उप० सी० एम० ई०

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले,

ह० | - के ० आर० खजूरा

महासचिव

साक्षी :-

1. ह० |- जे० डी० माथुर
2. ह० - एस० पी० गुप्त

[सं० एल- 22011/ 13/ 73 -एल० आर०-2]

करनैल सिंह उप-सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 2 January, 1974

S O 97.—WHFREAS an industrial dispute exists between the employers in relation ot the management of J&K Minerals Limited, Jammu, and their workmen represented by the Jammu and Kashmir Minerals Worker s Federation, Kalakot, Jammu;

AND WHEREAS the said employers and their workmen have by a written agreement, in parsuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial, Disputes Act 1947 (14 of 1947), referred the said dispute to arbitration by the person specified therein and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

NOW, THEREFORF, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 28th December, 1973.

(AGREEMENT)

FORM 'C'

(See Rule 7)

(Under Section 10A of the Industrial Dispute Act 1947)

BETWEEN

1. Name of the Parties:-

Representing employer:	Fin. Adviser & Chief Acctts. Officer. Dy. Chief Mining Engineer, J&K Mineral Ltd., Assistant Secretary, J&K.
Representing workmen	J&K Minerals Workers Association, K&K

It is hereby agreed between the parties to refer the following Industrial Dispute to the arbitration of

Sh. MIR NASSARULLAH I. A. S. DIVISIONAL COMMISSIONER, (J&K STATE) JAMMU PROVINCE.

(hereby specify the name (s) and address (s) of the arbitrator(s)

(i) Specific matters in dispute	1. What benefits should be given to the J&K Minerals employees working at Kalakot Region in light of Govt. Order No. A/19 (73)-714 dated 30-6-1973 keeping in view the different allowances and other benefits enjoy by the J&K Minerals Employees post at Kalakot. 2. Which category of Worker/employees should be eligible for allowance 3. Date from which it should be effective.
(ii) Details of the parties to the dispute including the name and the address of the astablishment or undertaking involved	1. J&K Minerals Ltd., (a) J&K Govt. Undertaking, The Bund, Srinagar, Kashmir (Regd Office) 2. J&K Minerals Workers Association Kalakot (Regd. No. 199).
(iii) Name of the Union if any, representing the workmen in question	J&K Minerals Workers Association, Kalakot.
(iv) Total number of workmen employed in the undertaking effected	About 1700

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute — 140

Signature of the parties

Witness — Representing employer
(V.S. Verma)

(J. D. Mathur) — Fin. Advisor & Chief Accft. Officer
K.C. Dass Puri,
Dy. C.M.E.

2. S.P. Gupta — Representing workmen.
K.R. Khajura,
General Secretary.

GOVERNMENT OF JAMMU AND KASHMIR

FINANCE DEPARTMENT

Srinagar, the 30th June 1973

S.R.O. 320.—In exercise of power conferred by proviso to section 224 of the constitution of Jammu and Kashmir, the Government is pleased to direct that the following amendments shall be made in the Jammu and Kashmir Civil Service Regulations (3rd Reprint Edition 1971) namely:—

In the said regulation:

Article 41-A together with the notes thereunder shall be recast as under:-

Article 41-A:—A local allowance may be granted by the Govt. at such rates and subject to such conditions as it may like to impose to the Government Servants serving in any particular locality specified in this behalf from time to time.

In occurance from the above, Government have sanctioned the following rates of local allowance in the areas shown below:-

1— The following places shall draw of the allowance be included in categories "A and B".

Category "A"—shall place in the following areas which are not connected by motorable roads:—

(a) Ladakh District.
(b) Tehsil Nowshera.
(c) Niabat Bani.
(d) Illaqas of Paddar in Kashmir District.
(e) Entire Niabat Gurez.
(f) Niabat Nowgam in Kashmir Tehsil.
(g) Tandgar Sub-District
(h) Matchil areas.

Category "B".

(a) Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch, Rajouri and Suncer Bani and other urban areas.

(b) Areas in category "A" which are connected by motorable roads.

(ii) In respect of place in category "A" local allowance will be allowed at a rate of 75% of the basic pay and in areas falling in category B the allowance will be allowed at 50% of the basic pay.

(iii) Governments as are posted within the distance of 8 kms. from the line of actual control or at place which are declared by the Government from time to time as qualifying for Border Allowance except place included in categories A&B above shall be allowed a compensatory (Border) allowance @ of 20% of their basic pay.

NOTE 1:- The allowance will be admissible to local as also non-locals employed in the areas and shall be admissible to Government servants whether permanent or temporary as also to the establishments charge to works and debitable to contingencies provided of course no part time Government servants are included in any of these categories.

NOTE 2:—Government servants falling under Classes III to V (Refer article 309) touring Ladakh from outside the District shall be entitled to compensatory allowance for the period of their stay on duty in the District in addition to other allowances that may be due to them under rules for such period. This will be subject to the condition that the pay plus compensatory allowances of any such officers shall not exceed Rs. 850/- per month during such tour.

In respect of other areas where compensatory allowance (other than Border) is allowed as per this rule it will be drawn during tour by the Non-Gazetted Government Servants only with effect from date or upto the date they reach places noted in Notes 2&3 to Article No. 123 ibid.

NOTE 3:—Compensatory Allowance other than Border allowance is also admissible to Government Servants on transfer to and from the area in which it is allowed with effect from the date or upto the day they reach the places noted in Notes 2 & 3 Article 123.

NOTE 4:—For purposes of admissibility of Border allowance the fact of a place of posting being situated within a distance of 8 kilometers from the line of the actual control shall be certified that the Deputy Commissioner/Assistant Commissioner of the concerned district. The distance of 8 kilometers for this purpose shall be reckoned according the aerial distance.

This order shall be deemed to have come into effect from Ist July, 1972 except in respect of places where no compensatory allowance was allowed before the issue of this order. In respect of all such places the compensatory allowance shall be allowed from Ist July 1973.

If in any case the revised rates of compensatory allowance /Border allowance result in fall of the amount of the allowance compared to the amount actually drawn on Ist July 1972 by any such Government Servant to whom these rules apply the difference in the amount previously drawn plus Rs. 20/- shall be allowed to him as additional compensatory allowance till the continuous to be posted in an area qualifying for grant of the allowance. Similarily where the fixation of the allowance in the revised rates result in an increase of less than Rs. 20/- per month difference of the amount will be drawn by such Government Servants as additional compensatory allowance in personal capacity.

By order of the Government.

[No. A/29(73)-714 dated 30-6-73]

J.N .Kaul, Secretary
R. K. Kokiloo
Accounts Officer (Codes)

Attested by Sd./-Illegible
Deputy Commissioner Rajouri

KARNAIL SINGH, Dy. Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 जून, 1973

का. आ. 98.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स एस. कान्तिलाल एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, खान स्वामी, मारगोआ से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 2) मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स एस. कान्तिलाल एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, खान स्वामी, मारगाओ के प्रबंधतंत्र की सिरगल खानों में सर्वश्री शेख इब्राहिम, कम्प्रेसर आपरेटर, एलेक्स मेसकारेनहास, ड्राइवर, जयवन्त मोपकार, क्लीनर, और चन्द्रकान्त नायक, क्लीनर और बाराजन खान में सर्वश्री मोहन सावन्त और सुभाष पालयेकर, पर्यवेक्षकों की अप्रैल-मई, 1972 में सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[संख्या एल-29012/21/73-एल. आर-4]

(Department of Labour and Rehabilitation)

ORDER

New Delhi, the 25th June, 1973

S.O. 98.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Messrs S. Kantilal and Company Private Limited, Mine Owner, Margao and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2) Bombay constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs. S. Kantilal and Company Private Limited, Mine Owner, Margao in terminating the services of Sarvashri Shaik Ibrahim, Compresser Operator, Alex Mascarenhas, Driver, Jaiwant Mopkar, Cleaner and Chandrakant Naik, Cleaner in Sirgal mines and Sarvashri Mohan Sawant and Subbash Palyekar, Supervisors in Barazan Mine in April-May, 1972 is justified? If not, to what reliefs are the workmen entitled?

[No. L-29012/21/73-LR IV]

आदेश

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1973

का. आ. 99.—यतः इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, खनिज प्रभाग मानावालाकुरिची के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों, जिनका प्रतिनिधित्व इंडियन रेयर अर्थ्स एम्पलाईज यूनियन, मिनरल स्टाफ एसोसिएशन, मिनरल वर्कर्स यूनियन और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट मिनरल वर्कर्स यूनियन, मानावालाकुरिची करती हैं, ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन संयुक्त रूप से केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है कि वह उनके बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद को उक्त आवेदन में उपवर्णित और इससे उपाबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट विषयों के बारे में किसी औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित करे ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी थिरू जी. गोपीनाथ होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मानावालाकुरिची के ऐसे कर्मकार, जो तमिल नाडु राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली काट रखने के परिणामस्वरूप कामबन्दी पर थे, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25(ग) के अधीन कामबन्दी की अवधि के दौरान बीच में आ पड़ने वाली छुट्टियों लिए और साप्ताहिक छुट्टियों के प्रतिकार के हकदार थे और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

[संख्या एल-29011/33/73-एल. आर.-4]

ORDER

New Delhi, the 14th November, 1973

S.O. 99.—Whereas the employers in relation to the management of Indian Rare Earths Limited, Minerals Division Manavalakurichi and their workmen represented by Indian Rare Earths Employees Union, Mineral Staff Association, Mineral Workers Union and Kanyakumari District Mineral Workers Union, Manavalakurichi have jointly applied to the Central Government under sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), for reference of an industrial dispute that exists between them to an Industrial Tribunal in respect of the matters set forth in the said application and specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government is satisfied that the persons applying represent the majority of each party;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Thiru G. Gopinath as Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication, to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the workmen of Indian Rare Earths Limited, Manavalakurichi who were laid-off consequent on the imposition of power cut by the Tamil Nadu State Electricity Board, were entitled to compensation for the intervening holidays and weekly holidays during the lay-off period under section 25(C) of the Industrial Disputes Act and if so, to what extent?

[No. L-29011/33/73-LR. IV]

नई दिल्ली, तारीख 17 नवम्बर 1973

आदेश

का० आ० 100—.यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स चौगुल एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, मारमुगाश्रो हारबर (गोवा) के प्रबन्ध तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7—क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (संख्या 2) मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स चौगुल एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, मारमुगाश्रो हारबर (गोवा) के प्रबन्धतंत्र की, निम्नलिखित कर्मकारों की, उनमें से प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से, छंटनी करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं तो, वे किस अनुतोष के हकदार है?

क्रम सं०	नाम	छंटनी की तारीख
	पड़ताल कर्ता	
1.	श्री ए० पी० कृष्णन	14-7-71
2.	श्री भिकु अम्बी	11-7-71
3	श्री रामरे महाजन	14-7-71
4.	श्री गोविन्द पेदनेकर	14-7-71
5.	श्री एल्विन लोबो	14-7-71
6.	श्री उमाकांत पेदनेकर	14-7-71
7.	श्री मुरलीधर जोशी	14-7-71
8	श्री साईमन फरनन्डीस	14-7-71
9.	श्री श्रीराम चोडुगे	14-7-71
10.	श्री अप्पाया पाटिल	16-7-71
11.	श्री गोविन्द देसाई	14-7-71
12.	श्री महादेव नायक	14-7-71
13.	श्री अनन्त कुदनामी	14-7-71
14.	श्री विट्ठल घोलाप	14-7-71
15	श्री एल्विन फरनण्डीस	14-7-71
16.	श्री चन्द्रकांत कुम्भन	14-7-71
17.	श्री हुसन कुंजी	14-7-71
	छीदक	
18	श्री सूर्ज नायक	14-7-71
19.	श्री कुशाली देसाई	14-7-71
20.	श्री चन्द्रकांत नायक	14-7-71
21.	श्री शिवप्पा नायक	14-7-71
22.	श्री सालदा टेवसटीरा	14-7-71
23.	श्री दत्तु देसाई	11-7-71
24.	श्री सेन्ताग्रो अन्तोग्रो	14-7-71
25.	श्री दत्ता निरावागाकर	14-7-71
26.	श्री के० रामाचन्द्रन	14-7-71
	छेदक सहायक	
		दैनिक मजदूरी
27.	श्री कुशा कुट्टी (दै०म०)	15-7-71
28	श्री पुण्डालिक नायक (दै०म०)	15-7-71
29.	श्री महादेव नायक (दै०म०)	
	रज्जुमार्ग-श्रमिक	
30.	श्री श्रीकांत गवास (दै०म०)	28-8-71
31.	श्री संजिवया पुनुस्वामी	28-8-71
32.	श्री एम० रामाप्पा (दै०म०)	28-8-71
33	श्री शम्सुदीन "	28-8-71
34.	श्री वमन पार्लेकर "	28-8-71
35.	श्री विष्णी काकोडकर "	15-7-71
36	श्री पांडुरंग गवास "	15-7-71
37.	श्री सद्गुरु वांचोद्कर "	15-7-71
38	श्री गोपाल परब "	15-7-71
39.	श्री गोविन्द मुलेकर "	15-7-71
40.	श्री सुधाकर कुवेलकर "	15-7-71
41	श्री गुरुलिंगप्पा "	15-7-71
	उत्स्फोटक	
42	श्री एम० नदाफ (दै०म०)	15-7-71
43	श्री जी० वी० शिरोदकर	15-7-71
	चारखी	
44.	श्री सी० वी० पाटिल	14-7-71
45.	श्री पी० आर० पाटिल	14-7-71
46.	श्री एन० वी० काकोडकर	14-7-71
47.	श्री वी पवार	31-7-71
	सम्पीडक प्रचालक	
48.	श्री लावारेंस फिल्सन	14-7-71
	सम्पीडक-परिचायक	
49.	श्री गोकुलदास नायक (दै०म०)	14-7-71
50.	श्री एन० गाओकर	15-7-71
	हल्के ट्रक के चालक	
51.	श्री रामाकांत गाओंकर	11-9-71
52.	श्री वासु कोल्हापुरकर	11-9-71
	यांत्रिक 4	
53.	श्री फांसिस पोण्टिस	31-7-71
54.	श्री एरिक डी सोउजा	31-7-71
55.	श्री डोमिक डी सोउजा	31-7-71
	यांत्रिक-सहायक	
56.	श्री ललित कुमार (दै०म)	15-7-71
	वेल्डर सहायक	
57.	श्री माईकल फरनण्डीस	14-7-71
58.	श्री जोकुइम पोण्टिस (दै० म०)	15-7-71
	गोली संयंत्र-सहायक प्रचालक	
59.	श्री एल० वी० निम्बर्जी	17-8-71
60.	श्री पी० वी० कट्टिमनी	17-8-71
61.	श्री डी० एम० डोल्ले	17-8-71
	गोली संयंत्र-परिचारक	
62.	श्री पी० के० मजुमदार	17-8-71
63.	श्री वी० एन० नायक	17-8-71
64.	श्री एम० एस० पास्ते	17-8-71

क्रम सं०	नाम	छंटनी की तारीख
65.	श्री आर० डी० देसाई	17-8-71
66.	एम० एन० तिवारी	17-8-71
67.	श्री पी० वी० दलाल	17-8-71
68	श्री डी० टी० देसाई	31-7-71
69.	श्री डी० आर० पाल्टे	17-8-71
70.	श्री सैम्पुअल चांदी	17-8-71
71.	श्री एम० सी० मेन्दीस	17-8-71
72.	श्री बी० के० राने	17-8-71
73.	श्री के० बी० कलोजी	17-8-71
74.	श्री शेक अम्बम	17-8-71
75.	श्री जी० वी० वाड़ेकर	31-7-71
76.	श्री एम०बी० गोवा	31-7-71
77	श्री पी०आर० पाटिल	31-7-71
78.	श्री एम०के शिरुड्कर	31-7-71
79.	श्री आर० ए० मंगोली	31-7-71
80.	श्री एम० डी० आदेकर	31-7-71
गोली संयंत्र सहायक		
81.	श्री एम० गोवा	31-7-71
गोली संयंत्र के बिजलि मिस्तरी		
82.	श्री ए०बी० देसाई	17-8-71
83.	श्री जे०के० जाधव	17-8-71
84.	श्री बी० डी० स्वार	17-8-71
गोली संयंत्र के विद्युत सहायक		
85.	श्री पी०एन० मलियान	17-8-71
86.	श्री के० पवित्रायन	17-8-71
रज्जु मार्ग के फिटर		
87.	श्री अनन्त सावंत	28-8-71

[सं० एल० 29011/36/73 एल०आर० 4]

ORDER

New Delhi, the 17th November, 1973

S. O. 100.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs. Chowgule and Company Private Limited, Mormugoa Harbour (Goa) and their workman in respect of the matters specified in the Schedule here to annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No.2), Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs. Chowgule and Company Private Limited, Mormugao Harbour (Goa) in retrenching the following workman from the date shown against each of them is justified ? If not, to what relief are they entitled ?

Serial No.	Name	Date of retrench-ment
Checkers		
1.	Shri A. P. Krishnan	14-7-71
2.	Shri Bhiku Ambi	14-7-71
3.	Shri Ramray Mahajan	14-7-71
4.	Shri Govind Pednekar	14-7-71
5.	Shri Alvin Lobo	14-7-71
6.	Shri Umakant Pednekar	14-7-71
7.	Shri Murlidhar Joshi	14-7-71
8.	Shri Saiman Fernandes	14-7-71
9.	Shri Shriram Ghodge	14-7-71
10.	Shri Appaya Patil	16-7-71
11.	Shri Govind Desai	14-7-71
12.	Shri Mahadev Naik	14-7-71
13.	Shri Anant Kudnali	14-7-71
14.	Shri Vithal Gholop	14-7-71
15.	Shri Edwin Fernandes	14-7-71
16.	Shri Chandrakant Kumbhan	14-7-71
17.	Shri Hassan Kunji	14-7-71
Drillers		
18.	Shri Surya Naik	14-7-71
19.	Shri Kushali Desai	14-7-71
20.	Shri Chandrakant Naik	14-7-71
21.	Shri Shivppa Naik	14-7-71
22.	Shri Saldo Texteira	14-7-71
23.	Shri Dattu Desai	14-7-71
24.	Shri Bentao Antao	14-7-71
25.	Shri Datta Nirabagakar	14-7-71
26.	Shri K. Ramachandran	14-7-71
Driller-Helpers		
27.	Shri Krisha Kutti (D.W.)	15-7-71
28.	Shri Pundalik Naik (D.W.)	15-7-71
29.	Shri Mahadev Naik (D.W.)	
Ropeway-Labour		
30	Shri Shrikant Gawas (D.W.)	28-8-71
31.	Shri Sanjiwayya Putu Swami	28-8-71
32.	Shri M. Ramappa (D.W)	28-8-71
33.	Shri Shamsudin ,,	28-8-71
34.	Shri Waman Parulekar ,,	28-8-71
35.	Shri Vishny Kakodkar ,,	15-7-71
36.	Shri Pandurang Gawas ,,	15-7-71
37.	Shri Sadjuru Wanchandkar ,,	15-7-71
38.	Shri Gopal Parab ,,	15-7-71
39.	Shri Govind Murlekar ,,	15-7-71
40.	Shri Sudhakar Dabolkar ,,	15-7-71
41.	Shri Gurulingappa ,,	15-7-71
Blasters		
42.	Shri M. Nadaf (D.W.)	15-7-71
43.	Shri G. V. Shirodkar	15-7-71
Samplers		
44.	Shri C. B. Patil	14-7-71
45.	Shri P.R. Patil	14-7-71
46.	Shri N. V. Kakodkar	14-7-71
47.	Shri B. Pawar	31-7-71

D. W. — Daily Wages

Serial No.	Name	Date of retrenchment
	Compressor-Operators	
48.	Shri Lawares Wilson	14-7-71
	Compressor-Attendent	
49.	Shri Gokuldas Naik (D.W.)	14-7-71
50.	Shri N. Gaokar (D.W.)	15-7-71
	Light Truck Drivers	
51.	Shri Ramakant Gaonkar	11-9-71
52.	Shri Vasu Kolhapurkar	11-9-71
	Mechanics-IV	
53.	Shri Francis Pontis	31-7-71
54.	Shri Eric D'Souza	31-7-71
55.	Shri Domic D' Souza	31-7-71
	Mechanic-Helper	
56.	Shri Lalit Kumar (D.W.)	15-7-71
	Welder-Helper	
57.	Shri Mycle Fernandes	14-7-71
58.	Shri Joquim Pontis (D.W.)	15-7-71
	Pellet Plant-Assistant Operators	
59.	Shri L. V. Nikharji	17-8-71
60.	Shri P. B. Kattimani	17-8-71
61.	Shri D. P. Doble	17-8-71
	Pellet Plant-Attendants	
62.	Shri P. K. Majumdar	17-8-71
63.	Shri V. N. Naik	17-8-71
64.	Shri M. S. Paste	17-8-71
65.	Shri R. D. Desai	17-8-71
66.	Shri S. N. Taware	17-8-71
67.	Shri P.V. Dalal	17-8-71
68.	Shri D. T. Desai	31-7-71
69.	Shri D. R. Palte	17-8-71
70.	Shri Samual Chanddi	17-8-71
71.	Shri M.C. Mendes	17-8-71
72.	Shri V. K. Rane	17-8-71
73.	Shri K. V. Kaloji	17-8-71
74.	Shri Shaik Aslam	17-8-71
75.	Shri G. V. Wadekar	31-7-71
76.	Shri M. V. Shaik	31-7-71
77.	Shri P. R. Patil	31-7-71
78.	Shri M. K. Tirudkar	31-7-71
79.	Shri R. A. Mangoli	31-7-71
80.	Shri S. D. Bandekar	31-7-71
	Pellet Plant-Helpers	
81.	Shri M. Shaik	31-7-71
	Pellet Plant Electricians	
82.	Shri A.V. Desai	17-8-71
83.	Shri J.K. Jadhav	17-8-71
84.	Shri V. D. Swar	17-8-71
	Pellet Plant Electric-Helpers	
85.	Shri P. N. Sliyan	17-8-71
86.	Shri K. Pavitrayan	17-8-71
	Ropeway-Fitters	
3 87.	Shri Anant Sawant	28-8-71

[No. L-29011/36/73-LRIV]

आदेश

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1973

का. आ. 101.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में डुडिवाला क्वारी में डालमिया दादरी सीमेण्ट लिमिटेड, चर्खी दादरी और सर्वश्री रामचन्दर और सुभाष चन्द कंकर ट्रांस्पोर्ट लोडिंग कंण्ट्रैक्टर्स के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री ओ. पी. शर्मा होंगे, जिनका मुख्यालय फरीदाबाद होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या डुडिवाला क्वारी में डालमिया दादरी सीमेण्ट लिमिटेड चर्खी दादरी और श्री राम चन्दर और श्री सुभाष चन्द, कंकर ट्रांस्पोर्ट लोडिंग कन्ट्रैक्टर्स के प्रबंधतंत्र की डुडिवाला क्वारी के निम्नलिखित 6 कर्मकारों की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है और यदि नहीं, तो ये कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

1. श्री. रूप चन्द पुत्र झबदू
2. श्री रामफल पुत्र रूप चन्द
3. श्री दिवान पुत्र रूप चन्द
4. श्री पत राम पुत्र रेदू
5. श्री हरि राम पुत्र पहलाद
6. श्री चन्दू पुत्र केवल

[संख्या ए-29011 (56)/73-एल. आर.-4]

ORDER

New Delhi, the 22nd November, 1973

S.O. 101.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri and Sarvashri Ram Chander and Subhash Chand, Kakar Transport Loading Contractors in Dudiwala quarry and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri O. P. Sharma as Presiding Officer with headquarters at Faridabad and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Dalmia Dadri Cement Limited Charkhi Dadri and Shri Ram Chander and Shri Subhash Chand, Kankar Transport Loading Contractors' in Dudiwala quarry in

terminating the services of the following 6 workmen in Dadiwala quarry is justified and if not, to what relief are these workmen entitled?

1. Shri Roop Chand S/o Jhabdu.
2. Shri Ram Phal S/o Roop Chand.
3. Shri Dewan S/o Roop Chand.
4. Shri Pat Ram S/o Redu.
5. Shri Hari Ram S/o Pablad.
6. Shri Chandu S/o Kewal.

[No. L-29011(56)/73-LR. IV]

आदेश

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1973

का. आ. 102.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर के प्रबंधतंत्र ने, असनी फलोदी, भारोंपुरा बाजार ख और लक्ष्मीपुरा की चूना पत्थर खदानों में मात्रानुपाती दर पर नियोजित पत्थर काटने वालों के बारे में सीमेण्ट उद्योग संबंधी केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है? यदि नहीं, तो ये कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं।"

[संख्या एल-29011(55)/72-एल. आर.-4]

ORDER

New Delhi, the 24th November, 1973

S.O. 102.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Jaipur Udyog Limited, Sawaimadhopur and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur constituted under section 7 A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the management of Messrs Jaipur Udyog Limited, Sawaimadhopur have implemented the recommendations of the Central Wage Board for Cement Industry in regard to piece-rated Stone Cutters employed in their Phalodi, Bharonpura Bajarakho and Laxmipura Lime Stone Quarries? If not, to what relief are these workmen entitled?"

[No. L-29011(55)/72-LR. IV]

आदेश

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1973

का० आ० 103.—यतः इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद, श्री मो० याकूब खान, पीठासीन अधिकारी औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के समक्ष लम्बित है।

और यतः उक्त विवाद की कार्यवाहियां काफी अवधि से उक्त अधिकरण के समक्ष लम्बित पड़ी हुई है।

और यतः सम्बन्धित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ द्वारा कार्यवाहियों को स्थानान्तरित करने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है।

और यतः न्याय के उद्देश्यों तथा पक्षों की सुविधा के लिए उक्त विवाद को बिना और विलम्ब किए निपटाया जाना चाहिए;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उस अधिकरण से जिसमें श्री मो० याकूब खान पीठासीन है उक्त विवाद से सम्बद्ध उक्त कार्यवाही को वापस लेती है और उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को इस निदेश के साथ अन्तरित करती है कि उक्त अधिकरण उक्त कार्यवाहियों पर और आगे कार्यवाही उस प्रक्रम से करेगा जिस पर वे उसे अन्तरित की गई हैं और विधि के अनुसार उनका निपटान करेगा।

अनुसूची

विवाद के पक्षकार	औद्योगिक अधिकरण की निर्देश संख्या और तारीख
मैसर्स राज पत्थौरिया स्टोन कम्पनी रामगंज मण्डी की मालाखेड़ी लाईन, स्टोन क्वारी का प्रबन्धतन्त्र और उनके कर्मकार	का० आ० 2995 तारीख 24 जून, 1972 (संख्या एल-29012/10/72-एल आर. 4 तारीख 24 जून, 1972)

[संख्या एल-29012/10/72-एल आर 4]

ORDER

Delhi, the 28th November, 1973

S.O. 103.—WHEREAS the industrial dispute specified in the schedule hereto annexed is pending before Shri Mohd. Yaqoob Khan, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Jaipur;

AND WHEREAS the proceedings in the said dispute has been pending for a considerable period before the said Tribunal;

AND WHEREAS a request has been made to the Central Government for transfer of the proceedings by the Union representing the concerned workmen;

AND WHEREAS for the ends of justice and convenience of parties the said dispute should be disposed of without further delay;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 33B of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby with-

draws the said proceedings in relation to the said dispute from the Tribunal presided over by Shri Mohd. Yaqoob Khan and transfers the ame to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under section 7A of the said Act, for the disposal of the proceedings with the direction that the said Tribunal shall proceed with the said proceedings from the stage at which it is transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Parties to the disputes	Reference number and date to the Industrial Tribunal
Management of Satalkhedi Lime Stone Quarry of M/s. Raj Flooring Stone Company Ramgunjmandi and their workmen.	S.O. 2995 dated 24-6-72 (No. L-29012/10/72-LR.IV dated 24-6-72)

[No. L-29012/10/72-LR.IV]

आदेश

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1973

का. आ. 104.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसकी उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में छावनी बोर्ड, कम्पटी से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और, यतः, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 2), मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या श्री श्यामलाल बल्दी बर्से, झाड़ूकश, छावनी बोर्ड, कम्पटी, जिला नागपुर (महाराष्ट्र राज्य) की सेवाएं समाप्त करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[फा. सं. एल 13012/1/73-एल आर 1]

ORDER

New Delhi, the 3rd December, 1973

S.O. 104.—Whereas, the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Cantonment Board, Kamptee and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Diputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Bombay constituted under section 7 A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the termination of services of Shri Shyamlal Baldi Barse, Sweeper, Cantonment Board, Kamptee, Distt. Nagpur (Maharashtra State) is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

[File No. L. 13012/1/73-LR I]

आदेश

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1973

का. आ. 105.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में ओडामोल लौह अयस्क खान के स्वामी मैसर्स शान्तिलाल खुशालदास एण्ड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, मारगाओ, गोवा के प्रबंध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2), बम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या ओडामोल लौह अयस्क खान के स्वामी, मैसर्स शान्तिलाल खुशालदास एण्ड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, मारगाओ (गोवा) के प्रबंधतंत्र की श्री महादेव कांडोल्कर, खान मेट को 4 जनवरी, 1973 से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित थी ? यदि नहीं तो वे किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[संख्या एल-26012/8/73-एल. आर.-4]

ORDER

New Delhi, the 12th December, 1973

S.O. 105.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Shantilal Khushaldas and Brothers Private Limited, Owners of Odamol Iron Ore Mine, Margao, Goa and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2) Bombay constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs Shantilal Khushaldas and Brothers Private Limited, Owners of Odamol Iron Ore Mine, Margao (Goa) was justified in dismissing Shri Mahadeo Kandolkar, Mines Mate with effect from the 4th January, 1973? If not, to what relief is he entitled?

[No. L-26012/8/73-LR.IV]

आदेश

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1973

का. आ. 106.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसकी उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्री शांतिलाल

जैन, खान मालिक, बारेन (जिला कोटा) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और, यतः, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या श्री शांतिलाल जैन, खान मालिक, बारेन (जिला कोटा) की सुर्पा बलुआ पत्थर खान में नियोजित कर्मकार किन्हीं सवेतन राष्ट्रीय और उत्सव अवकाशदिन की मंजूरी के हकदार हैं ?"

[संख्या एल-29012(34)/73-एल. आर.-4]

ORDER

New Delhi, the 13th December, 1973

S.O. 106.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Shri Shantilal Jain Mine Owner Baren (District Kota) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the workmen employed in Surpa Sand Stone Mine of Shri Shantilal Jain, Mine Owner, Baren (District Kota) are entitled for grant of any paid National and Festival holidays ?

[No. L-29012(34)/73-LR.IV]

New Delhi, the 2nd January, 1974

S.O. 107.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Arbitrator, in the industrial dispute between the management of Messrs Goggagurusanthiah and Brothers, Papinayakanahalli and their workmen represented by the Jambunatha Iron Ore and Red Oxide Mines Workers Union, Papinayakanahalli which was received by the Central Government on the 20th December, 1973.

AWARD OF SHRI G. NARAYANASWAMY, ASSISTANT LABOUR COMMISSIONER (CENTRAL), BELLARY

The management of M/s. Gogga Gurusanthiah and Bros., Mine Owners, Papinayakanahalli and their workmen represented by Jambunatha Iron Ore and Red Oxide Mines Workers Union, Papinayakanahalli entered into an agreement under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 on 8-7-1973 and referred the following dispute to my arbitration :

"Whether the action of the management of Messrs. Gogoa Gurusanthaiah and Brothers, Papinayakanahalli Post, Bellary District, in Terminating the services of Shri. Buden, Daily Rated workman is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

The said agreement was published in the Part II Section 3 Sub-Section (ii) of the Gazette of India during the month of October, 1973 vide Notification No. L-29013/4/73-LRIV dated 3rd October, 1973 of the Department of Labour and Employment in the Ministry of Labour and Rehabilitation, Government of India, New Delhi.

I called upon the parties to attend in my office on 2-11-1973 for hearing along with relevant decuments etc. Since the parties failed to attend on 2-11-1973, I fixed the next date of hearing as 14-11-1973 and I also requested the parties to submit their written statement in the above case on the said date. On 14-11-1973, the management attended the proceedings whereas the workman's representative failed to turn up. Since the letter fixing the date as 14-11-1973 was not received by the Union in time, another date was given as 26-11-1973, to which both the parties requested for an adjournment. The Workman's representative also requested for the hearing to be held at Hospet. Accordingly, arbitration proceedings were fixed up at Hospet on 12-12-1973. The management's representative attended the proceedings, whereas the workman's representative failed to turn up. The representative of the management stated that Shri Budan Sab was terminated since he could not do any work in the Mines due to old age and his dues were settled by them to the satisfaction of Budan Sab and hence there is nothing to arbitrate upon in this case. On verification of the facts it was found that Shri Budan had put in a service of 1 year and 4 months in the mines. The management had paid him the following dues as full and final settlement, which Shri Budan Sab has accepted on 6-7-1973.

(1) Service compensation for 1 year and 4 months.	Rs. 64.00
(2) Retrenchment compensation (2 weeks wages).	Rs. 48.00
(3) Wages due from 22-2-1973 to 24-2-1973 duty period of 3 days).	Rs. 12.00
Total :	Rs. 124.00

He was also paid Rs. 72.47 as bonus due to him for the accounting year 1971-72 on 6-7-1973. Since the dues of Shri Budan Sab was found settled to his satisfaction and as the workman's representative failed to turn up for the arbitration proceedings consequentively on 3 occasions without showing sufficient cause, I have concluded that the workman's representatives are no longer interested in the arbitration proceedings.

In view of this I am hereby giving a "no dispute award".

G. NARAYANASWAMY,
Assistant Labour Commissioner (Central),

Place : Bellary.
Dated : 15-12-1973.

[No. L-29013/4/73-LRIV]

आदेश

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1974

का० आ० 108.—यतः भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई के प्रबन्धतंत्र और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व संयुक्त खदान मजदूर संघ, बालघाट करता है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः उक्त कम्पनी और संघ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धो

के अनुसरण मे एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को जो उसे 13 दिसम्बर, 1973 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

के बीच मध्यस्थ आई० आर० एम०

पक्षकारों के नाम

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री आर० पी० सिंह,
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी,
औद्योगिक सम्बन्ध,
भिलाई स्टील प्लांट,
भिलाई-1 (मध्य प्रदेश)।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री के० नुतेनेश्वर, सचिव,
संयुक्त खदान मजदूर संघ, (एटक)
मजदूर भवन, बालाघाट,
जिला बालाघाट।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री शनमुघावेल क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), जबलपुर के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है।

1. **विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय**।

क्या केवल श्री नारायण और श्री साधन चन्द्र के पक्ष के माध्यस्थम् पंचाट के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप श्री मोहम्मद सलीम, ड्रिलमैन को पदोन्नति के मामले मे उनके कनिष्ठों द्वारा अन्यायपूर्ण ढंग से विस्थित किया गया है। यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है।

2. **विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है**

बालाघाट खान समूह के संबंध में महा प्रबन्धक, भिलाई स्टील प्लाण्ट, भिलाई, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई-1 (मध्य प्रदेश) और उनके कर्मकार जिनका प्रतिनिधित्व संयुक्त खदान मजदूर संघ (एटक) मजदूर भवन, बालाघाट, जिला बालाघाट करता है।

3. **यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो, तो उसका नाम**

संयुक्त खदान मजदूर संघ (एटक) मजदूर भवन,
बालाघाट, **जिला बालाघाट**

4. **उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या :**

70 (सत्तर)।

5. **विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भाव्यत : प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या :**

3 (तीन)।

मध्यस्थ अपना पंचाट 3 (तीन) मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा। यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नये माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे।

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले **कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले**

ह०/- आर० पी० सिंह वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, आई०आर०	ह०/- के० नुतेनेश्वर सचिव, संयुक्त खदान मजदूर संघ (एटक), बालाघाट।

साक्षी :

1. ह०/-ई० वी० नारायणन
ड्रिलमैन
प्रास्प० ड्रिल माईन्स

2. ह०/- आर० सी० सूद,
कार्यालय अधीक्षक,
आ० एम० क्यू० विभाग,

स्वीकृत

ह०/- के० शनमुघावेल
क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय)
जबलपुर।

[संख्या एल–25013(3)/73-एल०आर०-4]

ORDER

New Delhi, the 2nd January 1974

S. O. 103.—Whereas an industrial dispute exists between the management of Bhilai Steel Plant, Bhilai, and their workmen represented by Samyukta Khadan Mazdoor Sangh, Balaghat;

And whereas the said company and the Union have by a written agreement in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10 A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to the arbitration of the person mentioned therein and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 13th December, 1973.

(AGREEMENT)

(AGREEMENT UNDER SECTION 10A OF THE I.D. ACT 1947)

Between

Representing Employer :— Shri R. P. Singh,
Senior Personnel Officer,
Industrial Relations,
Bhilai Steel Plant,
Bhilai-1 (MP)

Representing workmen :— Shri K. Nutcneshwar,
Secretary,
Samyukta Khadan Mazdoor Sangh, (AITUC) Mazdoor Bhawan, Balaghat,
Distt. Balaghat.

It is hereby agreed between the parties to refer the following Industrial dispute to the arbitration of Shri Shanmughaval, Regional Labour Commissioner (Central) Jabalpur.

1. Specific Matter in dispute :

Whether Sri Mohmad Saleem, Drillman has been wrongfully superseded by his juniors in the matter of promotion consequent upon implementation of an arbitration award in favour of Sri Narayan and Shri Sadhan Chandra only. If so to what relief the workman is entitled.

2. Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or :

General Manager, Bhilai Steel Plant, Bhilai, Hindustan Steel Limited, Bhilai-1 (MP) in relation to Balaghat Group of Mines and their workmen represented by Samyukta Khadan Mazdoor Sangh (AITUC) Mazdur Bhawan, Balaghat, Distt. Balaghat.

3. Name of the Union, if any representing the workmen in Question.

Samyukta Khadan Mazdoor Sangh (AITUC), Mazdoor Bhawan, Balaghat, **Distt. Balaghat.**

4. Total Nos. of workmen employed in the undertakings :

70 (Seventy).

5. Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.

3 (Three)

The arbitration shall make his award within a period of 3 (three) months or within such further time as is extended by the mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period afore mentioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Representing Employer	**Representing Workmen**
Sd/- (R.P. Singh) Senior Personnel Officer, IR	Sd/- (K. Nuteneshwar) Secretary, Samyukta Khadan Mazdoor Sangh (AITUC) Balaghat.

Witnesses :

1. Sd/- (E. V. Narayanan)
   Drillman
   Prosp. Hirri Mines
2. Sd/- (R. C. Sud),
   Office Supdt.,
   OMQ Deptt.

Accepted.

Sd/- (K. SHANMUGHAVEL)
Regional Labour Commissioner (Central),
Jabalpur.

[No. L-26013 (3)/73-LR.IV)]

नई दिल्ली, तारीख 3 जनवरी, 1974

का० आ० 109—यतः केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उपखण्ड (6) के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसरण में एक अधिसूचना भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग की अधिसूचना संख्या का० आ० 2098 तारीख 24 जुलाई, 1973) द्वारा, कोयला उद्योग में सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 28 जुलाई 1973 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ।

अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 28 जनवरी 1974 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[फा० सं० एस-11025/22/73-एल०आर०-I]

एस. एस. सहस्रनामन, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd January, 1974

S.O. 109—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so required, had declared by a notification made in pursuance of the provision of the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), [being the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2098 dated the 24th July, 1973] the coal industry, to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 28th July, 1973;

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 28th January, 1974.

[F. No. S. 11025/22/73-LR.I)]

S. S. SAHASRANAMAN,
Under Secy.

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1974

का. आ. 110.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इन्टरनेशनल कामर्शियल कम्पनी, 13-ए, ब्रूस स्ट्रीट फोर्ट मुम्बई-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के दिसम्बर के एकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[संख्या एस-35018(84)/73-पी एफ. 2.

New Delhi, the 2nd January, 1974

S.O. 110.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employee in relation to the establishment known as Messrs International Commercial Company 13-A, Bruce Street, Fort Bombay-1 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1972.

[No. S. 35018(84)/73-PF. II

का. आ. 111.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गोदरेज एन्ड बायी एम्प्लाइज कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स सोसायटी लिमिटेड, विखरोली, मुम्बई-79, जिसमें इसकी निम्नलिखित दुकानें भी सम्मिलित हैं :—

1. दुकान, क्वार्टर संख्या 24, गोदरेज कालोनी, विखरोली मुम्बई-79 के निकट ,
2. दुकान, बिल्डिंग संख्या 1, गोदरेज कालोनी, क्रीक साइड, विखरोली, मुम्बई-79
3. बिल्डिंग संख्या 21, ब्लाक संख्या 1 और 2, गोदरेज स्टाफ क्वार्टर, हिल साइड, विखरोली, मुम्बई-79. और
4. लालबंग, परेल, मुम्बई-12 डी डी स्थित दुकान,

नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1968 के जून के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. 8/101/68-पी. एफ. 2(1)]

S.O. 111.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Godrej and Boyee Emploees' Cooperative Consumers' Society Limited. Vikhroli, Bombay-79, including its following shops :—

1. Shop Near quarter No. 24, Godrej Colony, Vikhroli, Bombay-79,
2. Shop Building No. 1, Godrej Colony, Greek Side, Vikhroli Bombay-79,
3. Building Number 21, Block No. 1 and 2, Godrej staff Quarters, Hill side, Vikhroli, Bombay-79 and
4. Shop at Lalbaug, Parel, Bombay-12-DD.,

have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1968.

[No. 8/101/68-PF. II(i)]

का. आ. 112.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19)की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 30 जून, 1968 से मैसर्स गोदरेज एण्ड बायी एम्पलाईज कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स सोसाइटी लिमिटेड, विखरोली, मुम्बई-79, जिसमें इसकी निम्नलिखित दुकानें भी सम्मिलित हैं, अर्थात् :—

1. दुकान, क्वार्टर संख्या 24, गोदरेज कालोनी, विखरोली, मुम्बई-79 के निकट ,
2. दुकान, बिल्डिंग संख्या 1, गोदरेज कालोनी, क्रीक साइड, विखरोली, मुम्बई-79 ,
3. बिल्डिंग संख्या 21, ब्लाक संख्या 1 और 2, गोदरेज स्टाफ क्वार्टर, हिलसाइड, विखरोली, मुम्बई-79 , और
4. लालबंग परेल, मुम्बई-12 डी डी स्थित दुकान, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[संख्या 8/101/68-पी. एफ. 2(2)]

S.O. 112.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirtieth day of June, 1968, the establishment known as Messrs. Godrej and Boyee Employees' Cooperative Consumers' Society, Limited, Vikhroli, Bombay-79, including its' following shops :—

1. Shop near quarter No. 24, Godrej Colony, Vikhroli, Bombay-79,
2. Shop Building No. 1, Godrej Colony, Creek side, Vikhroli, Bombay-79,
3. Building No. 21, Block No. 1 and 2, Godrej staff Quarters, Hill side, Vikhroli, Bombay-79, and
4. Shop at Lalbaug, Parel, Bombay-12-DD, for the purposes of the said proviso.

[No. 8/101/68-PF.II(ii)]

का. आ. 113.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रोग्रेसिव गन्नीज एजेंसी (प्राइवेट) लिमिटेड, 45-धर्मतला स्ट्रीट, कलकत्ता-13 जिसके अन्तर्गत इसकी निम्नलिखित शाखाएं भी हैं, अर्थात् .—

(1) डालमिया नगर शाखा, डायमिया नगर ।

(2) रांची शाखा, हरमू रोड, रांची ।

(3) राजगंगपुर शाखा, जिला और डाकघर राजगंगपुर, एच संख्या 4, सुन्दरगढ़ ।

(4) रावर्ट्स गंज, जिला मिर्जापुर ।

(5) दिल्ली शाखा, संख्या 43, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-15

(6) गौहाटी शाखा, गेट संख्या 1 मलिगांव पण्ड, असम. गौहाटी-11 ,

नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के अप्रैल के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[संख्या एस-35017(12)/73-पी. एफ. 2(1)]

S.O. 113.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Progressive Gunnies Agency (Private) Limited, 45, Dharmatala Street, Calcutta-13 including its branches (1) Dalmianagar Branch,

Dalmianagar (2) Ranchi Branch, Harmu Road, Ranchi (3) Rajgangpur Branch District & P. O. Rajgangpur H. No. 4 Sundargarh (4) Roberts Ganj District Mirzapur (5) Delhi Branch No. 43 Kirtinagar, New Delhi-15 (6) Gauhati Branch Gate No. 1 Maligaon Pandu Assam, Gauhati-11 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the Thirtieth day of April, 1972.

[No. S. 35017/12/73-PF. II(i)]

का. आ. 114.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् मैसर्स प्रोग्रेसिव गन्नीज एजेंसी (प्राइवेट) लिमिटेड, 45 धर्मतला स्ट्रीट, कलकत्ता-13, जिनके अन्तर्गत इसकी निम्नलिखित शाखाएं भी हैं, अर्थात् :—

(1) डालमिया नगर शाखा, डालमिया नगर ।

(2) रांची शाखा, हरमू रोड, रांची ।

(3) राजगंगपुर शाखा, जिला और शाखा राजगंगपुर, एच संख्या 4, सुन्दरगढ़ ।

(4) राबर्ट्स गंज, जिला मिर्जापुर ।

(5) दिल्ली शाखा, संख्या 43, कीर्तिनगर, नई दिल्ली-15

(6) गौहाटी शाखा, गेट संख्या 1, मलिगांव पण्डु, असम, गौहाटी-11,

नामक स्थापन को 30 अप्रैल, 1972 से उक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[संख्या एस.-35017(12)/73-पी. एफ. 2(2)]

S.O. 114.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 30th April, 1972 the establishment known as Messrs Progressive Gunnies Agency (Private) Limited 45, Dharmatala Street, Calcutta-13 including its Branches namely: (1) Dalmianagar, Branch, Dalminagar. (2) Ranchi Branch, Harmu, Road, Ranchi (3) Rajgangpur Branch District and P.O. Rajgangpur House No. 4 Sundargarh. (4) Roberts Ganj District Mirzapur (5) Delhi Branch No. 43 Kirtinagar, New Delhi-15 (6) Gauhati Branch Gate No. 1 Maligaon, Pandu, Assam, Gauhati-11 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017/12/73-PF. II(ii)]

का. आ. 115.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ट्रेडिंग इंजीनियर्स (इन्टर नेशनल) प्राइवेट लिमिटेड, 3/3-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के दिसम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[संख्या एस-35019(72)/73 पी. एफ. 2(1)]

S.O. 115.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Trading Engineers (international Pvt. Limited, 3/3-A, Asaf Ali Road, New, Delhi have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1972.

[No. S. 35019(72)/73-PF.II(i)]

का. आ. 116.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 दिसम्बर, 1972 से मैसर्स ट्रेडिंग इन्जीनियर्स (इन्टरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड, 3/3-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. एस-35019(72/73-पी. एफ. 2(2)]

S.O. 116.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st December, 1972, the establishment known as Messrs Trading Engineers (International) Private Limited, 3/3-A, Asaf Ali Road, New Delhi for the purposes of the said proviso.

[No. S. 25019(72)/73-PF.II(ii)]

का. आ. 117.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मराठे इंडस्ट्रियल सर्विसिज लिमिटेड, 2821, श्री गोविन्द राधजी मराठे रोड, मिराज, जिला संगली नामक स्थापन से संम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

यतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 के जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं एस-35018(94)/73-पी. एफ. 2]

S.O. 117.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the stablishment known as Messrs Marathe Industrial Services Limited, 2821, Shri Govindraoji Marthe Road, Miraj, District Sangli have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central

Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1973.

[No. S. 35018(94)/73-PF. II]

का. आ. 118.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स परमान एण्ड हिन्द, 14, नेता जी सुभाष रोड, कलकत्ता-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952, (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के अक्तूबर के एकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस-35017(48)/73-पी. एफ. 2]

S.O. 118.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs. Perman & Hynd, 14, Netaji Subhas Road, Calcutta-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of October, 1972.

[No. S. 35017(48)/73-PF. II]

का. आ. 119.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ऐशियन काटन मिल्स प्राइवेट, लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एस्टेट, काम्पति रोड, नागपुर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के दिसम्बर के इक्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[संख्या एस-35018(76)/73 पी. एफ. 2(1)]

S.O. 119.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Asian Cotton Mills Private Limited, Industrial Estate, Kamptee Road, Nagpur have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1972.

[No. S. 35018(76)/73-PF. II(i)]

का. आ. 120.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी निधि और कुटुम्ब पेंशन अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 दिसम्बर, 1972 से मैसर्स ऐशियन काटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एस्टेट, काम्पति रोड, नागपुर नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[संख्या एस-35018(76)/73-पी. एफ. 2(2)]

S.O. 120.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 31st December, 1972 the establishment known as Messrs Asian Cotton Mills Private Limited, Industrial Estate, Kamptee Road, Nagpur for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018(76)/73-P.F.-II(ii)]

का. आ. 121.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अमीन पटेल एण्ड कम्पनी, आई. बी. पटेल रोड, गोरेगांव (इ) मुम्बई-63 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ;

यह अधिसूचना 1973 के जून के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[संख्या एस-35018(85)/73-पी. एफ. 2]

S.O. 121.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Amin Patel and Company, T. B. Patel Road, Goregaon (E) Bombay-63 have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1973.

[No. S. 35018(85)/73-PF. II]

का. आ. 122.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बी, आर. एंटरप्राइसिस (संगम सिनेमा), चारमीनार ' ' रोड, हैदराबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 के अप्रैल के प्रथम दिन को लागू समझी जाएगी ।

[सं. एस-35019(74)/73-पी. फ. 2]

S.O. 122.—Whreas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs B. R. Enterprises (Sangam Cinema) Charminar 'X' Roads, Hyderabad have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1973.

[No. S. 35019(74)/73-PF. II]

का. आ. 123.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सालवेशन आर्मी कैथरीन बूथ हास्पिटल वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर फार द फिजिकली हैन्डिकैप्ड, आर्मबोली कन्याकुमारी जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 की फरवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या एस-35019(15)/73-पी.एफ.2]

S.O. 123.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Salvation Army Catherine Booth Hospital Vocational Trading Centre for the Physically Handicapped, Aramboly, Kanyakumari District have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1973.

[No. S. 35019(15)/73-PF. II]

का. आ. 124.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राजेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी, एम्पायर हाउस, तीसरी मंजिल, डा. डी. एन. रोड, मुम्बई-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के दिसम्बर के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या एस-35018(93)/73-पी.एफ.2(1)]

S.O. 124.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rajendra Trading Company, Empire House, 3rd Floor, Dr. D. N. Road, Bombay-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1972.

[No. S. 35018(93)/73-PF. II(i)]

का. आ. 125.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 दिसम्बर, 1972 से मैसर्स राजेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी, एम्पायर हाउस, तीसरी मंजिल, डा. डी. एन. रोड, मुम्बई-1, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[संख्या एस-35018(93)/73-पी. एफ. 2(2)]

S.O. 125.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 31st day of December, 1972, the establishment known as Messrs Rajendra Trading Company, Empire House, 3rd Floor, Dr. D. N. Road, Bombay-1 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018(93)/73-PF. II(ii)]

का. आ. 126.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री ज्योति गिनिंग फैक्ट्री, नवदेवलिया, तालुक हलवाड, जिला सुरेन्द्र नगर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के फरवरी के अट्ठाइसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या एस-35019(69)/73-पी. एफ. 2]

S.O. 126.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shree Jyoti Ginning Factory, Nava Devalia, Taluka Halvad, District Surendranagar have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the twenty-eighth day of February, 1973.

[No. S. 35019(69)/73-PF. II]

का. आ. 127.—यतः, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वेस्ट कोस्ट पेपर मिल एम्पलाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, बांगूर नगर डंडेली (कर्नाटक राज्य) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और

कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[संख्या एस-35019(73)/73-पी. एफ. 2(1)]

S.O. 127.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs West Coast Paper Mill Employees' Cooperative Credit Society Limited, Bangur Nagar Dandeli (Karnataka State) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1973.

[No. S. 35019(73)/73-PF II(i)]

का. आ. 128.—केन्द्रीय सरकार भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल, 1973 से मैसर्स वेस्ट कोस्ट पेपर मिल एम्पलाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, बांगुर नगर डंडेली (कर्नाटक राज्य) नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[संख्या एस-35019(73)/73-पी. एफ. 2(2)]

दलजीत सिंह, अवर सचिव

S.O. 128.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st April, 1973, the establishment known as Messrs West Coast Paper Mill Employees' Cooperative Credit Society Limited, Bangur Nagar, Dandeli (Karnataka State) for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(73)/73-PF. II(ii)]

DALJIT SINGH, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1974